खण्ड-386, अंक-8
मंगलवार, 16 चैत्र, शक संवत् 1910
(5 अप्रैल, 1988 ई0)

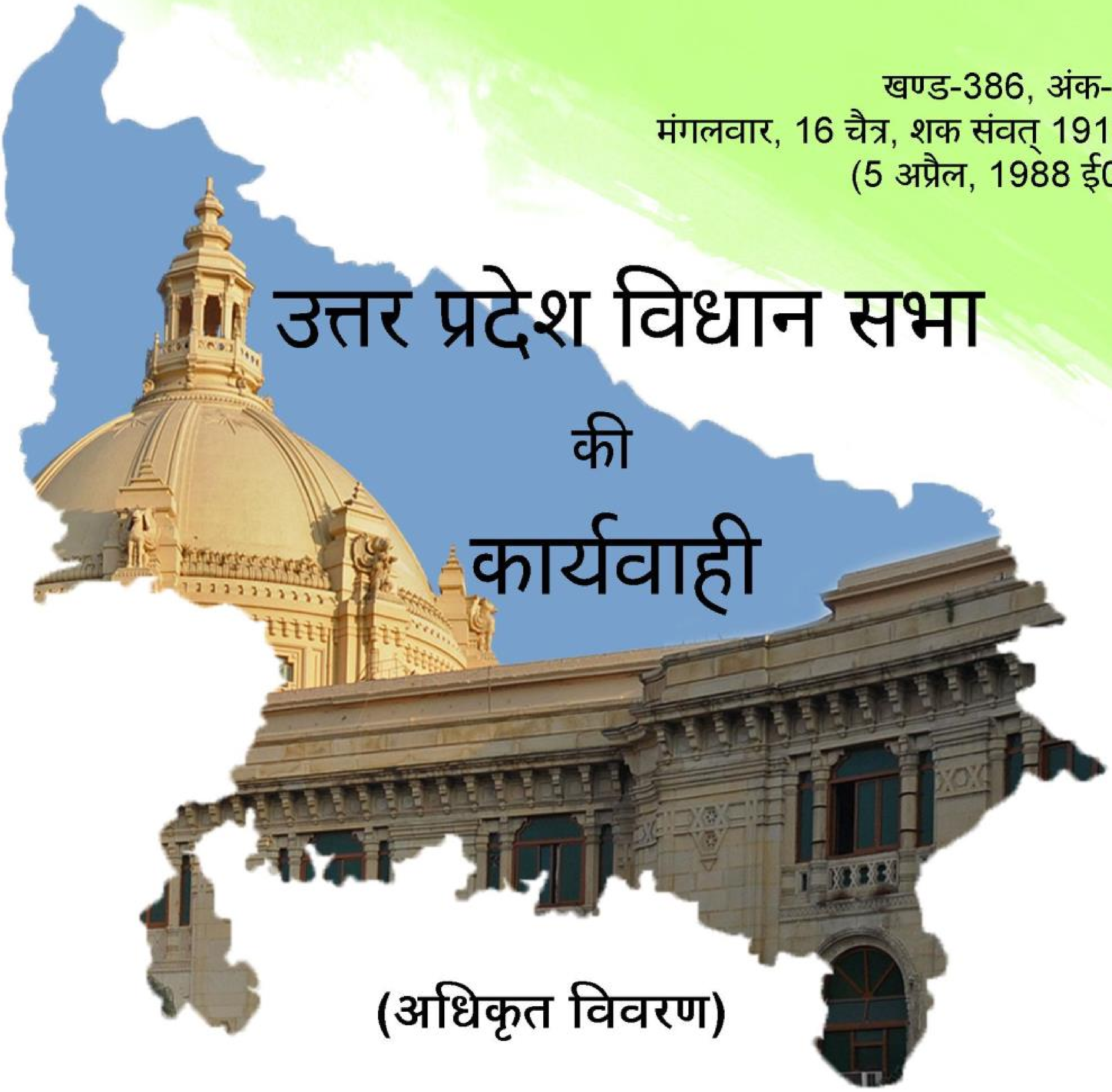

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

## की

# कार्यवाही

## (अधिकृत विवरण)

खण्ड 386 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

---

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1988

---

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

## विषय-सूची


| विषय | पृष्ठ संख्या |
|---|---|
| उपस्थित सदस्य .. .. .. .. | ग–घ |
| प्रश्नोत्तर .. .. .. .. | 1–51 |
| श्री विलायती राम कत्याल, सदस्य, विधान सभा की हत्या की सूचना तथा उनके सम्मान में सदन की कार्यवाही का स्थगन .. .. | 52 |
| वत्तियां .. .. .. .. | 53–59 |


विधान सभा पुस्तकालय

उत्तर प्रदेश राज्य सभा

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 5 अप्रैल, 1988

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष श्री नियाज हसन की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

---

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे—

| | |
|---|---|
| अकबर अहमद (डम्पी), श्री | नैनीताल |
| अफजाल अन्सारी, श्री | गाजीपुर |
| अब्दुल वहीद कुरैशी, श्री | मेरठ |
| अमीर आलम खां, श्री | मुजफ्फरनगर |
| अलमेलू अम्माल, कुमारी | बस्ती |
| अवनीश कुमार सिंह, श्री | बदायूं |
| अहिवरन, श्री | शाहजहांपुर |
| इन्द्र प्रताप सिंह, श्री | बहराइच |
| औसान सिंह, श्री | इटावा |
| कमल नयन वर्मा, श्री | रायबरेली |
| कमलेश कुमार पाठक, श्री | इटावा |
| कल्यान सिंह, श्री | अलीगढ़ |
| काजी मोहिउद्दीन, श्री | सहारनपुर |
| किरन पाल सिंह, श्री | बुलन्दशहर |
| कौशिक रमाशंकर, श्री | मुरादाबाद |
| गोपाल दास यादव, श्री | इलाहाबाद |
| गोपीनाथ दीक्षित, श्री | उन्नाव |
| गौरी शंकर, श्री | इटावा |
| गौरी शंकर भइया, श्री | बलिया |
| चारु शीला, श्रीमती | मुजफ्फरनगर |
| चेतराम, श्री | शाहजहांपुर |
| चेतराम गंगवार, श्री | बरेली |
| जगदीश नरायन, श्री | हमीरपुर |
| जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री | गोरखपुर |
| जागन सिंह, श्री | रामपुर |
| दिवाकर विक्रम सिंह, श्री | बस्ती |
| दूधनाथ, श्री | जौनपुर |
| देव कुमार यादव, श्री | बांदा |
| देवेन्द्र कुमार सिंह, श्री | ललितपुर |
| देवेन्द्र पाण्डेय, श्री | सुल्तानपुर |
| नरेन्द्र सिंह, चौधरी | कानपुर |
| नारायण हरि शर्मा, श्री | अलीगढ़ |
| निर्भय पाल शर्मा, श्री | सहारनपुर |
| पद्मा सेठ, श्रीमती | सीतापुर |
| प्रमोद कुमार, श्री | प्रतापगढ़ |
| प्रवीण कुमार शर्मा, श्री | बुलन्दशहर |
| प्रेमीला बढ़वार मेहरा, श्रीमती | बदायूं |
| फसीउर्रहमान, श्री (उर्फ मुन्नन खां) | गोण्डा |
| बलजीत सिंह, श्री | मथुरा |
| बलराम यादव, श्री | आजमगढ़ |
| बल्देव सिंह आर्य, श्री | उत्तरकाशी |
| बाबू सिंह, श्री | मुजफ्फरनगर |
| बालेश्वर, श्री | देवरिया |
| बुधपाल सिंह 'खुर्जावाले', श्री | बुलन्दशहर |
| बेनी प्रसाद वर्मा, श्री | बाराबंकी |
| बैजनाथ, श्री | देवरिया |
| ब्रह्मदत्त द्विवेदी, श्री | फर्रुखाबाद |
| मंगलदेव, श्री | गोण्डा |
| मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ, श्री | बस्ती |
| महमूद हसन अन्सारी, श्री | बिजनौर |
| महावीर सिंह, श्री | सहारनपुर |
| मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री | एटा |
| मुलायम सिंह यादव, श्री | इटावा |
| मुस्तमन्द अली खां, श्री | मथुरा |
| मुहम्मद आजम खां, श्री | रामपुर |
| मैनेजर सिंह, श्री | बलिया |
| रमा कान्त, श्री | आजमगढ़ |
| राकेशधर त्रिपाठी, श्री | इलाहाबाद |
| राज किशोर सिंह, श्री | वाराणसी |
| राजित प्रसाद यादव, श्री | वाराणसी |
| राजेन्द्र सिंह, श्री | अलीगढ़ |
| राजेन्द्र सिंह, श्री | फर्रुखाबाद |
| राजेश कुमार खैरा, श्री | ललितपुर |
| राम औतार दीक्षित, श्री | हरदोई |
| राम कृष्ण, श्री | सीतापुर |
| राम गोविन्द चौधरी, श्री | बलिया |
| राम जनम, श्री | आजमगढ़ |
| राम नरेश यादव, श्री | मैनपुरी |
| राम नरेश शुक्ल, श्री | प्रतापगढ़ |
| राम पाल वर्मा, श्री | हरदोई |

| | |
|---|---|
| राम रतन सिंह, श्री | सीतापुर |
| राम लखन, श्री | गोरखपुर |
| रेवती रमण सिंह, श्री | इलाहाबाद |
| लक्ष्मी नारायण, श्री | मथुरा |
| लोकपति त्रिपाठी, श्री | मिर्जापुर |
| विजय लक्ष्मी, श्रीमती | बलिया |
| वीर बहादुर सिंह, श्री | गोरखपुर |
| वीरेन्द्र प्रताप शाही, श्री | गोरखपुर |
| वीरेन्द्र सिंह, श्री | एटा |
| वीरेन्द्र सिंह, श्री | मुजफ्फरनगर |
| शतरुद्र प्रकाश, श्री | वाराणसी |
| शिव बालक पासी, श्री | रायबरेली |
| श्याम सूरत उपाध्याय, श्री | इलाहाबाद |
| संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री | वाराणसी |
| संजय सिंह, डा० | सुल्तानपुर |
| सखावत हुसैन, श्री | गाजियाबाद |
| सत्य प्रकाश विकल, श्री | आगरा |
| सन्तन बड़थ्वाल, श्री | चमोली |
| सरस्वती प्रताप सिंह, श्री | खीरी |
| सीताराम निषाद, श्री | फैजाबाद |
| सुखदा मिश्रा, श्रीमती | इटावा |
| सुखपाल पाण्डे, श्री | बस्ती |
| सुग्रीव सिंह, श्री | देवरिया |
| सुनील शास्त्री, श्री | गोरखपुर |
| सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री | देवरिया |
| सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री | अलीगढ़ |
| सुरेन्द्र सिंह, श्री | गढ़वाल |
| सैयद सईदुल हसन, श्री | बुलन्दशहर |
| स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती | लखनऊ |
| हर नारायण सिंह, श्री | रायबरेली |
| हरिश्चन्द्र, हरीश जी, श्री | बस्ती |
| हर्ष वर्द्धन, श्री | गोरखपुर |
| हुकुम सिंह, श्री | मुजफ्फरनगर |

विधान परिषद सचिवालय

प्रश्नोत्तर †

मंगलवार, दिनांक 5 अप्रैल, 1988 ई0

## अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

### सत्र न्यायालयों के सरकारी अधिवक्ताओं तथा अभियोजन अधिकारियों के वेतन में विसंगति

**1—श्री महरम सिंह तथा श्री भगवती सिंह विशारद—

क्या न्याय मंत्री को ज्ञात है कि प्रदेश में जिला एवं सत्र न्यायाधीशों के अधीनस्थ दण्डाधिकारियों के न्यायालयों में अभियोजन का कार्य करने वाले अभियोजन अधिकारियों तथा सहायक अभियोजन अधिकारियों का मासिक वेतन सत्र न्यायालयों में कार्यरत सरकारी अभियोजक जिला एवं अतिरिक्त जिला शासकीय अधिवक्ताओं से बहुत अधिक है और दोनों ही वर्गों में से किसी को भी प्राइवेट प्रैक्टिस की छूट नहीं है? यदि हां, तो क्यों और इस विसंगति को कब तक दूर कर दिया जायेगा ?

गृह राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान)—

प्रदेश में दण्डाधिकारियों के न्यायालयों में कार्यरत अभियोजन अधिकारियों की नियुक्ति दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा—25 के अन्तर्गत सरकारी कर्मचारी के रूप में और इससे संबंधित कार्यवाही शासन के गृह विभाग द्वारा की जाती है।

प्रदेश के सत्र न्यायालयों में कार्यरत सरकारी अधिवक्ताओं की नियुक्ति व्यवसायिक आबन्ध के रूप में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा—24 के अन्तर्गत की जाती है। सत्र न्यायालयों में कार्य कर रहे सरकारी वकीलों को शासन द्वारा मासिक दर से फीस दी जाती है तथा मजिस्ट्रेट न्यायालय में कार्य कर रहे अभियोजन अधिकारियों को सरकारी कर्मचारी होने के नाते मासिक वेतन व अन्य भत्ते देय होते हैं। अतः भिन्न वर्ग के होने के कारण दोनों प्रकार के व्यक्तियों के नियोजन की शर्तों में विसंगति का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

### श्री मोहन लाल, निवासी दढ़ियाल, मुरादाबाद के मकान की क्षतिपूर्ति सम्बन्धी संस्तुति पर विचार

**2—श्री कौशिक रमाशंकर—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या आयुक्त, मुरादाबाद मण्डल ने जनपद मुरादाबाद के थाना आदमपुर की पुलिस द्वारा ग्राम दढ़ियाल में जुलाई, 1982 को, प्रतिशोध की भावना से ध्वस्त किये गये मोहनलाल के मकान की क्षतिपूर्ति के लिए पचास हजार रुपये देने की सिफारिश भेजी है? यदि हां, तो शासन द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई?

गृह मंत्री (श्री गोपी नाथ दीक्षित)—

अपर आयुक्त (प्रशासन) मुरादाबाद की संस्तुति प्राप्त हुई है जिसका परीक्षण किया जा रहा है।

---

† सभी प्रश्न उत्तरित माने गये।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के द्वितीय सत्र 1987 के पहले मंगलवार को उत्तरित श्री दिवाकर विक्रम सिंह द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या–5, का संशोधित उत्तर ।

**कालिदास मार्ग, लखनऊ में अवैध रूप से रह रहे लोगों के खिलाफ कार्यवाही की मांग**

**मूल प्रश्न**

5–क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि 6 अक्तूबर, 1986 को कालीदास मार्ग स्थित मुख्य मंत्री आवास के बाहर की तरफ अनेक वर्षों से रह रहे जिन 13 व्यक्तियों के खिलाफ विहित प्राधिकारी न्यायालय द्वारा मुकदमा कायम करके बेदखल करके गिराया गया था, उसमें से कितने व्यक्ति अब भी उक्त स्थान पर आवास बना कर फिर से रह रहे हैं? क्या सरकार उनके खिलाफ कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

मुख्य मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)–

मूल उत्तर

माह 10/86 में 4-ए कालिदास मार्ग पर स्थित मुख्य मंत्री आवास की बाउन्ड्री-वाल के सहारे 13 आवास विहित प्राधिकारी न्यायालय द्वारा मुकदमा कायम करके बेदखली करके गिरवाये गये थे। उस स्थान पर फिर से कोई आवास नहीं बनाया गया है। अतः अब किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

संशोधित उत्तर

5–मा0 मुख्य मंत्री जी के आवास के बाहर अनधिकृत रूप से रह रहे 13 व्यक्तियों के आवास विहित प्राधिकारी न्यायालय के आदेशों के अन्तर्गत 6-10-86 को बेदखल करके गिरा दिये गये थे।

बेदखल किये गये स्थान पर इस समय छः व्यक्ति रह रहे हैं, इनमें से पांच वे ही लोग हैं, जिन्हें वहां से बेदखल कर हटाया गया था और एक नये व्यक्ति ने अनधिकृत कब्जा कर रहना प्रारम्भ किया है।

इन सभी व्यक्तियों के विरुद्ध पुनः बेदखली हेतु विहित प्राधिकारी न्यायालय में वाद दाखिल कर दिये गये हैं, जो विचाराधीन हैं।

**संक्षिप्त स्पष्टीकरण**

निम्नलिखित 13 व्यक्तियों के विरुद्ध विहित प्राधिकारी न्यायालय में 14-7-86 को वाद प्रस्तुत किया गया था और इनको अनधिकृत कब्जे से बेदखल करने का निर्णय 18-8-86 को न्यायालय द्वारा लिया गया :–

1–सर्वश्री राम किशोर, पुत्र राम दुलारे
2–कल्लन, पुत्र मोइनीदीन
3–सहज राम, पुत्र रामपाल
4–मिठाई लाल, पुत्र राम दुलारे
6–गंगा प्रसाद, पुत्र मेहरबान
7–राम प्रसाद, पुत्र केदारी लाल
8–हीरा लाल, पुत्र कल्लन

9–भूलई
10–मुकेश, पुत्र जुम्मन
11–दुर्गा
12–राम किशन
13–कृष्णा

2–मा0 मुख्य मंत्री आवास के पास ही अवध डिग्री कालेज एवं मा0 सभापति, विधान परिषद् के आवास के बीच में नाले पर से इन 13 व्यक्तियों में से कुछ लोगों को हटाया गया था उनमें से पुनः कुछ ने कब्जा कर लिया है, जिनके विरुद्ध दोबारा विहित प्राधिकारी न्यायालय में वाद 8-12-87 को प्रस्तुत किये गये हैं। जिनके मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं, उनके नाम निम्न प्रकार हैं :–

1–दुखी राम यह नये अवैध कब्जेदार हैं, जिसका कब्जा पहले नहीं था।
2–किशन
3–राम प्रसाद
4–भूलई
5–हीरा लाल
6–दुर्गा प्रसाद

उपरोक्त छः व्यक्तियों में से दुखीराम, जिसका नाम क्रमांक 1 पर है नया व्यक्ति है और अन्य पांच लोगों के साथ स्थान की उपलब्धता देखकर झोपड़ी बनाकर रहना प्रारम्भ कर दिया है। यह व्यक्ति अवध डिग्री कालेज में कार्य करता है और उपरोक्त के शेष अन्य पांच व्यक्ति भी अवध डिग्री कालेज में कार्यरत हैं।

3–मूल प्रश्न का उत्तर देते समय केवल मा0 मुख्य मंत्री आवास के बाहर की तरफ चहारदीवारी से लगी भूमि को ही देखकर उत्तर दे दिया गया था क्योंकि उस भूमि पर बेदखली के बाद पुनः किसी का अवैध कब्जा नहीं है परन्तु त्रुटिवश बेदखल किये गये सम्पूर्ण 13 व्यक्तियों की स्थिति नहीं देखी जा सकी और बाद में जब पुनः स्थल निरीक्षण किया गया तो यह स्थिति सामने आयी है कि उन 13 व्यक्तियों में से 5 व्यक्ति अवध डिग्री कालेज और मा0 सभापति, विधान परिषद् के आवास के बीच नाले पर से हटाये गये थे जिन्होंने पुनः कब्जा कर लिया। ऐसी स्थिति में संशोधित उत्तर सदन के समक्ष देना आवश्यक हो गया है।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

**विधान भवन के सामने राज्य कर्मचारियों तथा शिक्षकों का धरना**

*1–श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 4 फरवरी, 1988 को विधान भवन के सामने उत्तर प्रदेश कर्मचारी एवं शिक्षक महासंघ के आह्वान पर राज्य कर्मचारियों तथा शिक्षकों ने धरना दिया था? यदि हां, तो उनकी मांगें क्या थीं? क्या इन मांगों के सम्बन्ध में सरकार और कर्मचारियों तथा शिक्षकों के बीच कोई समझौता हुआ था? यदि हां, तो वह समझौता क्या था और उसको अब तक लागू न करने का क्या कारण है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

उपलब्ध सूचना के अनुसार कर्मचारी एवं शिक्षक महासंघ के आवाह्न पर दिनांक 5-2-1988 को विधान भवन के सामने धरना दिया गया था। कर्मचारी एवं शिक्षक महासंघ की मांगें संलग्न हैं। इन मांगों के सम्बन्ध में सरकार और कर्मचारियों के मध्य कोई समझौता नहीं किया गया।

अंतिम मांग का प्रश्न नहीं उठता।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 53 पर)

## पूर्वी उत्तर प्रदेश में नयी चीनी मिलों को लगाने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा भारत सरकार से अनुरोध

*2–श्री सूर्य प्रताप शाही–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गत वर्षों में गन्ने की बोआई क्षेत्र और उसके उत्पादन की अधिकता को देखते हुए पूर्वी उत्तर प्रदेश में नयी चीनी मिलों को लगाये जाने हेतु भारत सरकार को उदारतापूर्वक आशय पत्र जारी करने के लिए प्रदेश सरकार ने अनुरोध किया है? यदि हां, तो यह अनुरोध क्या है? यदि नहीं, तो बढ़ते गन्ने की समुचित पेराई और खपत के लिए प्रदेश के उद्योग विभाग ने क्या नीति निर्धारित की है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां।

पूर्वी उत्तर प्रदेश में गन्ने की पैदावार को देखते हुए जनपद गोरखपुर के घुरियापार (बांसगांव) में एक 2500 टी0 सी0 डी0 क्षमता की चीनी मिल लगाने के लिए लाइसेंस की स्वीकृति का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जा चुका है।

उक्त के अतिरिक्त बढ़ते हुए गन्ने को दृष्टिगत रखते हुए पेराई को सुनिश्चित करने के लिए वर्तमान चीनी मिलों की क्षमता विस्तार भी किया जा रहा है।

## परिवार नियोजन में काम आने वाली दवाइयों की बिक्री पर सेल टैक्स की छूट की मांग

*3–डा0 दिनेश जौहरी–

क्या सरकार को जानकारी है कि परिवार नियोजन में काम आने वाली दवाइयों एवं कांडरटी तथा पोलियो, डिपथीरिया, काली खांसी एवं टिटनेस के टीकों की बिक्री पर सेलटैक्स वसूल किया जाता है? यदि हां, तो क्या सरकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम के हित में उपरोक्त दवाइयों एवं टीकों की बिक्री पर सेल टैक्स समाप्त करने की घोषणा करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी, हां, कन्डोम तथा अन्तः गर्भनिरोधक उपाय (जिसे सामान्यतः लूप कहा जाता है) को छोड़कर सभी औषधियों और भेषजीय पदार्थों पर बिक्रीकर देय है।

वित्तीय संसाधनों की वर्तमान स्थिति को देखते हुए सरकार का फिलहाल ऐसा कोई विचार नहीं है।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

**फैजाबाद के कटेहरी विधान सभा क्षेत्र के तिवारीपुर नन्सा बाजार मार्ग के मड़हा नदी पर पुल निर्माण की मांग**

*1—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1986 में विभिन्न जनपदों में नदियों पर सेतु निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान करने के लिए निर्धारित मानक क्या थे और उन निर्धारित मानकों में से कौन सी शर्त ऐसी थी जिसके पूरा न होने के कारण जनपद फैजाबाद के कटेहरी विधान सभा क्षेत्र में तिवारीपुर नन्सा बाजार मार्ग पर स्थित मिझौड़ा गांव सभा में मड़हा नदी पर मिझौड़ा घाट पर पुल निर्माण नहीं कराया जा सका? क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि प्रति वर्ष वर्षा में उक्त नदी को पार करते समय मिझौड़ा घाट पर बहुत से यात्रियों की डूबने से मृत्यु हो जाती है? यदि हां, तो वर्ष 1988 में क्या सरकार उक्त मार्ग की विशेष स्थिति को ध्यान में रखते हुए मिझौड़ा घाट पर मड़हा नदी पर पुल के निर्माण की स्वीकृति प्राथमिकता के आधार पर प्रदान करने की कृपा करेगी?

श्री वीर बहादुर सिंह—

वर्ष 1986 में प्रदेश के विभिन्न अन्य जिला मार्ग, मुख्य जिला मार्ग तथा राज्य मार्ग पर अनुपलब्ध सेतु में से मार्ग की श्रेणी के अनुसार तथा प्रस्तावित पुलों के स्थल से निकटतम वर्तमान पक्के पुल की दूरी के अनुसार सेतु निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान करने के मानक निर्धारित थे। प्रश्नगत मड़हा नदी पर मिझौड़ा घाट पर पुल, ग्रामीण मार्ग पर होने के कारण तथा प्रदेश के सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण, स्वीकृत नहीं किया जा सका था।

वर्षाकाल में नदियों पर पानी बढ़ जाने के कारण यात्रियों की डूबने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

जनपद फैजाबाद में तिवारीपुर-मिझौड़ा-नन्सा बाजार मार्ग पर ग्राम मिझौड़ा के पास मड़हा (तमसा) नदी पर पुल की स्वीकृति शासनादेश संख्या 1891 ई/23-सा0 नि0 अनु0-11-74 ई/88, दिनांक 30 मार्च, 1988 में 60,00 लाख रुपये की लागत पर प्रदान की जा चुकी है।

**उ0 प्र0 पुलिस विभाग में उप निरीक्षकों को सलेक्शन ग्रेड दिये जाने में विलम्ब का औचित्य**

*2—श्री मैगेजर सिंह—

विधान सभा के तृतीय सत्र 1987 के पहले सोमवार के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न सं0 19 के उत्तर के संदर्भ में क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 73 उप-निरीक्षकों के सेवा अभिलेख अन्य स्थानों पर लम्बित रखने का तथा परिक्षेत्र में न उपलब्ध रखने का दोषी कौन है? यह किन अधिकारियों/कर्मचारियों का दायित्व था जिनकी लापरवाही के कारण 73 उप निरीक्षक सेलेक्शन ग्रेड पाने से चार वर्ष तक वंचित रहे?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

उप निरीक्षकों की पदोन्नति, स्थानान्तरण, स्थायीकरण, दक्षतारोक, विभिन्न कोर्सों हेतु नामांकन, वेतन वृद्धि, अपील, सेवा निवृत्ति आदि के बारे में निर्णय लेने व आवश्यक कार्यवाही हेतु सेवा अभिलेख आवश्यकतानुसार विभिन्न कार्यालयों में भेजे जाते रहते हैं। अतएव परिक्षेत्र कार्यालय में इनके उपलब्ध न होने के लिए किसी कर्मचारी/अधिकारी विशेष को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है।

*3–श्री महेन्द्र भाटी–

[6वें बुधवार में ता0 प्र0 सं0 4 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

**गोरखपुर जनपद की फरेन्दा तहसील में फूलमनहा दुबौलिया मार्ग पर ईंटों की सोलिंग के कार्य में की गई अनियमितता की जांच और कार्यवाही**

*4–श्री हर्षवर्धन–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर जनपद की फरेन्दा तहसील में फूलमनहा दुबौलिया मार्ग पर ईंटों की सोलिंग में अत्यन्त निम्न स्तर का कार्य कराये जाने के संबंध में प्रश्नकर्ता का सचिव, सा0 नि0 वि0 को सम्बोधित दिनांक 7-1-87 का पत्र प्राप्त हुआ? यदि हां, तो भ्रष्टाचार से संबंधित इस मामले में क्या कार्यवाही हुई है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां।

जांच की गई है तथा दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही जारी है।

[मंगलवार, दिनांक 5 अप्रैल, 1988 हेतु निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*1–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

[6वें गुरुवार में ता0 प्र0 सं0 14 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*2–श्री शतरुद्र प्रकाश–

[दिनांक 8-3-88 को अता0 प्र0 सं0 40 एवं 102 द्वारा उत्तरित]

**मौजूदा पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि क्षेत्र में पूंजी निवेश का प्रतिशत घटने व बढ़ने का अनुपात**

*3–श्री जगदीप सिंह धनार–

क्या नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मौजूदा पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि क्षेत्र में सरकार द्वारा पूंजी निवेश का प्रतिशत पूर्व की योजनाओं के अनुपात में कितना घटा अथवा बढ़ा है? क्या कारण है कि इस क्षेत्र में कार्यरत जनसंख्या का प्रतिशत न घटने पर भी पूंजी निवेश घटता जा रहा है? इस संबंध में मंत्री जी क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं?

वित्त तथा नियोजन राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)–

पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्रभावित करने वाले कई क्षेत्र हैं जैसे उपज, पालन, भूमि व जल संरक्षण, कृषि एवं वित्तीय संस्थाओं में विनियोजन, मार्केटिंग,

स्टोरेज, सिंचाई, बिजली, भूमि सुधार आदि। इस क्षेत्र में ...रत जनसंख्या पर इन सभी क्षेत्रों के विकास और प्राविधान का समग्र रूप से प्रभाव पड़ता है। सरकारी पूंजी निवेश के अतिरिक्त संस्थागत एवं निजी क्षेत्र में भी पूंजी निवेश की मुख्य भूमिका होती है जिसके आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। सप्तम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत उपज पालन में लगभग 300 करोड़ रुपये का प्राविधान है जो कुल योजना का 2.72 प्रतिशत है तथा यह विगत तीन पंचवर्षीय योजनाओं से कहीं अधिक है। कृषि क्षेत्र में पूंजी निवेश का परिणाम जिन मुख्य मदों द्वारा प्रतिबिम्बित होता है, उनकी स्थिति निम्न प्रकार है:–

| क्र0सं0 मद | 1950-51 | 1985-86 |
|---|---|---|
| 1–कुल खाद्यान्न उत्पादन लाख मी0 टन | 117.75 | 314.25 |
| 2–उपरोक्त की उत्पादकता कुन्तल/हे0 | 6.89 | 15.16 |
| 3–उर्वरक वितरण हजार मी0 टन | 21* | 1972 |
| 4–शुद्ध बोया गया क्षेत्र लाख हे0 | 162.31 | 172.44 |
| 5–शुद्ध सिंचित क्षेत्र लाख हे0 | 48.40 | 101.56 |
| 6–कुल बोया गया क्षेत्र लाख हे0 | 199.60 | 252.90 |
| 7–कुल सिंचित क्षेत्र लाख हे0 | 52.09 | 129.08 |
| 8–कृषि में उपभुक्त विद्युत लाख कि0 वाट | 6530** | 37385 |
| 9–अल्पकालीन सहकारी ऋण वितरण करोड़ रुपये | 2.28 | 243.60 |
| 10–मध्यकालीन सहकारी ऋण वितरण करोड़ रुपये में | – | 25.12 |

नोट:–*वर्ष 1956-57 की उपलब्धि

**वर्ष 1968-69 की उपलब्धि

उपरोक्त के अवलोकन से स्पष्ट है कि कुल खाद्यान्न उत्पादन तथा उत्पादकता में पर्याप्त वृद्धि हुई है और शासन द्वारा इसके लिए निरन्तर प्रयास किया जा रहा है।

**जनपद गाजियाबाद के सभी तहसील मुख्यालयों पर अग्निशामक उपस्थान बनाये जाने की मांग**

*4–श्री महेन्द्र भाटी–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद के सभी तहसील मुख्यालयों पर अग्निशामक संसाधन उपलब्ध हैं ? यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है ? दादरी तहसील जिसमें गेहूं का उत्पादन जिले में सबसे अधिक होता है और प्रति वर्ष हजारों क्विंटल गल्ला खलिहानों में आग लगने से जल जाता है, वहां पर अग्निशामक उपस्थान न बनवाये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

जी नहीं। वित्तीय संसाधनों की कमी एवं निर्धारित मापदण्डों को दृष्टिगत रखते हुए सभी तहसील मुख्यालयों पर अग्निशामक संसाधन उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं हो सका है। दादरी तहसील पर अग्निशामन केन्द्र की स्थापना का अभी तक कोई प्रस्ताव भी शासन को प्राप्त नहीं हुआ है।

**विधायक निवास–बी-ब्लाक में नयी लिफ्ट लगाने की मांग**

*5–श्री पूरन सिंह माहरा–

क्या सरकार को ज्ञात है कि विधायक निवास बी ब्लाक दारुलशफा में मात्र एक लिफ्ट है जो विगत दो माह से बन्द पड़ी है ? क्या सरकार विधायक निवास बी ब्लाक दारुलशफा से लिफ्ट पूर्ण रूप से हटाने पर विचार कर रही है ? वर्तमान लिफ्ट कब तक ठीक हो जायेगा तथा प्रस्तावित दूसरी नयी लिफ्ट कब तक लगा कर चालू कर दी जायेगी ?

श्री वीर बहादूर सिंह–

दारुलशफा ''बी'' ब्लाक स्थित पुरानी लिफ्ट दो महीने से बन्द नहीं है, अपितु पुरानी लिफ्ट को निकाल कर उसके स्थान पर नयी लिफ्ट लगाने का कार्य किया जा रहा है जो शीघ्र ही पूर्ण हो जायेगा दूसरी नयी लिफ्ट लगाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ।

**शस्त्र लाइसेन्सों के नवीनीकरण संबंधी आदेशों को निरस्त किये जाने की मांग**

*6–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शस्त्र लाइसेंसों का नवीनीकरण जो तीन वर्ष बाद होता है उस समय पुनः लाइसेंसधारी का पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन कराया जाता है जिससे लाइसेंसधारियों को लाइसेंस नवीनीकरण कराने के समय बहुत परेशानी उठानी पड़ती है और भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा मिलता है ? यदि हां, तो क्या शासन उक्त आदेशों को तुरन्त निरस्त करने पर विचार करेगा? यदि नहीं तो क्यों? यदि हां, तो कब तक?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

भारत सरकार द्वारा वर्ष–1983 में आयुध अधिनियम, 1959 में किये गये संशोधन के फलस्वरूप अब शस्त्र लाइसेंस के नवीनीकरण के समय भी पुलिस रिपोर्ट प्राप्त करना अनिवार्य हो गया है ।

उक्त अधिनियम एक केन्द्रीय अधिनियम है तथा आयुध, आग्नेयास्त्र, गोला-बारूद और विस्फोटक संविधान की सातवीं अनुसूची की प्रविष्टि संख्या 5 के अनुसार संघ सूची में है अतः उसमें कोई संशोधन करने के लिये राज्य सरकार सक्षम नहीं है ।

**किसान सहकारी चीनी मिल सम्पूर्णानन्द खीरी द्वारा की गई कथित आर्थिक अनियमितताओं की जांच की मांग**

*7–श्री मैनेजर सिंह–

क्या गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किसान सहकारी चीनी मिल सम्पूर्णानन्द नगर खीरी द्वारा 45 व 50 रु0 प्रति क्विंटल जलौनी लकड़ी मिल द्वारा खरीदी गयी जिससे मिल को लाखों रुपयों की अनावश्यक हानि हुई है ? क्या यह भी सच है कि उक्त प्रकार की अन्य अनेक आर्थिक अनियमिततायें भी मिल प्रबन्धकों द्वारा की गयी है ? यदि हां, तो क्या शासन इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

किसान सहकारी चीनी मिल सम्पूर्णानगर खीरी द्वारा केवल मिल के ट्रायल सत्र 85-86 के प्रारम्भिक तीन महीनों में कुल 22,671.64 क्विंटल जलौनी लकड़ी क्रय की गयी थी। उक्त में से 13888.45 क्विंटल लकड़ी उ0 प्र0 राज्य वन निगम से निर्धारित दर रुपये 62.68 प्रति कुन्तल औसत की दर (ट्रक भाड़ा छोड़कर) तथा शेष 8783.19 कुन्तल लकड़ी मिल की आपात कालीन आवश्यकता पर स्थानीय व्यापारियों से नियमानुसार कोटेशन लेकर औसत दर (ट्रक भाड़ा सहित) 63.58 रुपये प्रति कुन्तल की दर से क्रय की गयी । इस प्रकार जलौनी लकड़ी के खरीद में मिल को कोई हानि नहीं हुई । मिल के प्रधान प्रबन्धक के विरुद्ध आर्थिक अनियमितताओं का कोई मामला प्रकाश में नहीं आया । अतः किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

*8–श्री सुखपाल पाण्डे–

[दिनांक 26-2-88 को अल्प0ता0प्र0सं0 1 द्वारा उत्तरित]

**केन्द्रीय योजना आयोग को प्रस्तुत प्रदेश की वर्ष 1988-89 की योजना का प्रारूप**

*9–श्री रघुवर दयाल वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1988-89 की वार्षिक योजना का प्रारूप गत वर्ष 1987-88 की तुलना में अपेक्षाकृत छोटा बनाकर योजना आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया गया है ? यदि हां, तो वर्ष 1988-89 की योजना का प्रारूप छोटा होने से प्रदेश की प्रगति पर जो प्रतिकूल असर पड़ेगा, उसे रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

जी नहीं । केन्द्रीय योजना आयोग को प्रस्तुत प्रदेश की वर्ष 1988-89 की योजना का प्रारूप 2896.95 करोड़ रु0 था जबकि केन्द्रीय योजना आयोग द्वारा अनुमोदित वर्ष 1987-88 की योजना केवल 2629.65 करोड़ रु0 की है । वित्तीय वर्ष 87-88 की तुलना में वर्ष 1988-89 की योजना का आकार भी (2608 करोड़ रु0) बड़ा है । अतएव प्रदेश की प्रगति पर प्रतिकूल असर पड़ने का प्रश्न नहीं उठता ।

**तहसील मांट जनपद मथुरा में शुगर मिल खोलने की मांग**

*10–श्री कुशल पाल सिंह–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जनपद में जो गन्ना उत्पादन का बड़ा केन्द्र है उसमें केवल एक छता शुगर मिल है जो सिर्फ छता तहसील का ही गन्ना ले पाती है मांट तहसील का गन्ना साथा सहकारी चीनी मिल अलीगढ़ को एलाट कर दिया जाता है, जो कभी भी किसानों का गन्ना लेती है सिर्फ खानापूरी की जाती रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार मांट क्षेत्र में जहां गन्ना का उत्पादन काफी अच्छा है तथा गन्ने में रिकवरी का प्रतिशत भी काफी अच्छा है, में शुगर मिल खोलने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

मथुरा जनपद में केवल एक छाता शुगर मिल है जो छाता तथा मथुरा तहसीलों का गन्ना पेरती है। मांठ तहसील का गन्ना सहकारी चीनी मिल साथा को अभ्यर्पित किया जाता है जो अपनी आवश्यकतानुसार किसानों का गन्ना खरीदती है।

जनपद मथुरा की तहसील मांट में चीनी मिल की स्थापना हेतु लाइसेंस की स्वीकृति का प्रस्ताव वर्ष 1980 में भारत सरकार को भेजा था किन्तु भारत सरकार ने गन्ने की कम उपलब्धता के आधार पर पत्र दिनांक 17-11-1981 द्वारा प्रस्ताव को अन्तिम रूप से निरस्त कर दिया। अब सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में चीनी मिलों की स्थापना हेतु भारत सरकार से प्राप्त गाइड लाइन्स के अनुसार नई स्थापित होने वाली चीनी मिल 2500 टी0 सी0 डी0 से कम क्षमता की नहीं होगी तथा प्रस्तावित चीनी मिल क्षेत्र में पर्याप्त गन्ना उपलब्ध होना चाहिये और उक्त स्थल किसी वर्तमान चीनी मिल से 40 किलोमीटर की परिधि में नहीं होना चाहिये। प्रस्तावित स्थल मांट से छाता शुगर मिल की दूरी 30 कि0मी0 है तथा 2500 टी0 सी0डी0 क्षमता की चीनी मिल के लिये गन्ना भी उपलब्ध नहीं है। अतः भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों की पूर्ति न होने के कारण मांट में चीनी मिल की स्थापना का औचित्य नहीं है।

**लखनऊ बाराबंकी राष्ट्रीय मार्ग की सीमा से बाहर निर्मित औद्योगिक इकाईयां**

*11–श्री रामचन्द्र बख्श सिंह–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ से बाराबंकी नगर तक राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों ओर बड़े पैमाने पर औद्योगिक इकाइयां कायम हो रही हैं तथा राजमार्ग के किनारे तक इकाइयां अपनी इमारतें बनवा रही हैं ? क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि इन इकाइयों के चालू हो जाने पर लखनऊ से बाराबंकी तक यह राजमार्ग यातायात के लिये काफी दुष्कर हो जायेगा ? यदि हां, तो सरकार सड़क से 220 मीटर तक कोई निर्माण न करने की सख्ती से पालन क्यों नहीं कर रही है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां, लखनऊ बाराबंकी राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे औद्योगिक इकाइयां कायम हो रही हैं परन्तु ये इकाइयां राष्ट्रीय राजमार्ग की निर्धारित सीमा के बाहर अपनी इमारतें बना रही हैं।

इन इकाइयों के चालू हो जाने पर लखनऊ से बाराबंकी तक इस राष्ट्रीय राजमार्ग के यातायात के लिए दुष्कर होने की कोई सम्भावना प्रतीत नहीं होती है।

संयुक्त प्रान्त सड़क पार्श्व भूमि नियंत्रण अधिनियम 1945 के अन्तर्गत सड़क के मध्य से दोनों ओर केवल 220 फीट तक भूमि नियंत्रित होती है इस नियंत्रित क्षेत्र के भीतर निर्माण की अनुमति देने के नियमों का सख्ती से पालन किया जा रहा है।

**उ0 प्र0 सचिवालय में अनुभाग अधिकारियों की संख्या एवं उनमें आरक्षण तथा आरक्षण के संबंध में शासन की नीति**

*12–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सचिवालय में अनुभाग अधिकारी के कुल कितने पद हैं और इन पदों के विरुद्ध दिनांक 21-10-85 तक

कितने अनुभाग अधिकारी कार्यरत थे और इनमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कितने थे ? वर्तमान में कितने अनुभाग अधिकारी कार्यरत हैं जिनमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कितने अधिकारी हैं ? क्या अनुभाग अधिकारी के पद पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का कोटा पूरा है? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार 10 वर्ष की अधिक अवधि से कार्यरत वर्ष 1978 के बैच के अनुसूचित जाति के पूर्णतः पात्र प्रवर वर्ग सहायकों को तत्काल अनुभाग अधिकारी के पद पर प्रोन्नति प्रदान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सम्प्रति उ0 प्र0 सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी के कुल 342 संवर्गीय पद हैं । दिनांक 21-10-85 तक अनुभाग अधिकारी के कुल 335 संवर्गीय पद थे जिसके विरुद्ध 334 अनुभाग अधिकारी कार्यरत थे । इनमें अनुसूचित जाति के 26 अधिकारी थे । अनुसूचित जनजाति का कोई अधिकारी अनुभाग अधिकारी के पद पर कार्यरत नहीं था । वर्तमान में अनुभाग अधिकारी के पद पर कुल 284 व्यक्ति कार्यरत हैं, जिनमें 26 अनुसूचित जाति के अधिकारी हैं । उक्त में अनुसूचित जनजाति का कोई अधिकारी नहीं है । अनुसूचित जाति/जनजाति का कोटा पूरा नहीं है। इसका कारण चयन के समय आपेक्षित संख्या में उक्त जाति के अर्ह एवं उपयुक्त अभ्यर्थियों का अभाव है । न भर पायी गयी आरक्षित रिक्तियां अग्रनीत की गयी हैं ।

अनुभाग अधिकारी के पद पर अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों का कोटा पूरा करने के उद्देश्य से अनुभाग अधिकारी के पद पर स्थानापन्न रूप से प्रोन्नति में भी आरक्षण प्रदान करते हुए अनुसूचित जाति के कुछ प्रवर वर्ग सहायकों की स्थानापन्न प्रोन्नति के आदेश दिनांक 18-10-85 को निर्गत किए गये इस सन्दर्भ में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की लखनऊ बेंच में श्री जे0बी0 सिंह एवं अन्य द्वारा दाखिल की गयी रिट याचिका संख्या-5504 आफ 85 में दिनांक 21-10-85 को दिये गये स्थगन आदेश एवं उस पर मा0 उच्च न्यायालय के क्लेरीफिकेशन दिनांक 18-12-85 के परिप्रेक्ष्य में वर्ष 1978 बैच के अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रवर वर्ग सहायकों को उनकी ज्येष्ठता के अनुसार अनुभाग अधिकारी के पद पर स्थानापन्न रूप से प्रोन्नत किया जा रहा है।

**राजधानी लखनऊ में सूखा वर्ष में विशिष्ट अतिथि गृह के निर्माण का औचित्य**

*13–श्री हृदय नारायन दीक्षित–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजधानी लखनऊ में अति विशिष्ट अतिथि गृह का निर्माण किया जा रहा है ? यदि हां, तो यह योजना कितने रुपये की है ? इतनी भारी राशि के अतिथि गृह को सूखा वर्ष में बनवाने का औचित्य क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

इस योजना की तद्र्थ अनुमानित लागत 2.00 करोड़ रुपये है ।

इस योजना के लिये वित्तीय वर्ष 1987-88 में केवल 50.00 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है। कार्य की महत्ता एवं आवश्यकता को देखते हुये ही निर्माण कराया जा रहा है ।

**आरक्षियों तथा उपनिरीक्षकों के वर्दी भत्ते में विषमता**

*14–श्री कैलाश प्रसाद–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अभिसूचना विभाग में आरक्षियों को वर्दी भत्ता प्रतिमाह 25 रुपया मिलता है और उपनिरीक्षकों को 500 रुपया 5 वर्षों में (अर्थात 8.50 पैसे प्रतिमाह की दर से) मिलता है? यदि हां, तो क्यों? क्या शासन इस विषमता को दूर कर उपनिरीक्षकों का वर्दी भत्ता बढ़ाने पर विचार करेगा ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

जी हां, कान्स0 एवं उपनिरीक्षक वर्ग के वर्दी भत्ते में भिन्नता उनके कार्य की प्रकृति एवं वेतनादि में भिन्नता के कारण है।

वर्दी भत्ते में बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव वेतन समिति को विचारार्थ संदर्भित किया गया है।

*15–श्री पूरन सिंह माहरा–

[राज्य सरकार से असम्बद्ध होने के कारण निरस्त]

**प्रदेश में पी0 सी0 एस0 परीक्षा की आयु सीमा में बढ़ोत्तरी**

*16–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि 2 सितम्बर, 1987 को प्रश्नकर्ता व इन्दुप्रकाश सिंह मंत्री इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्रसंघ के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल उनके आवास पर पी0 सी0 एस0 परीक्षा की आयु सीमा 28 से 30 वर्ष करने के संबंध में मिला था? यदि हां, तो उस संबंध में क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

अधिसूचना सं0: 18/2/1981-कार्मिक-2 दिनांक 30 अक्तूबर, 1987 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश सेवाओं में भर्ती (आयु सीमा) (सातवां संशोधन) नियमावली, 1987 द्वारा सम्मिलित राज्य सेवा परीक्षाओं के माध्यम से भरी जाने वाली सेवाओं और पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा 28 से बढ़ाकर 30 वर्ष कर दी गयी है।

*17–श्री गौरी शंकर भइया–

[8वें मंगलवार के लिए स्थगित]

**बलिया जनपद के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्व0 श्री इन्द्रदेव प्रसाद गुप्ता के प्रति शासन का व्यवहार**

*18–श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जनपद के सहतवार निवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री इन्द्रदेव प्रसाद गुप्ता का देहान्त 18-9-87 को 5 बजे सायंकाल हो गया है? यदि हां, तो स्वतंत्रता सेनानी के निधन के उपरांत आज तक अनुग्रह राशि नहीं दी गयी तथा राजकीय सम्मान से भी वंचित किया गया ? इस संबंध में स्वतंत्रता सेनानी के प्रति बरती गयी उपेक्षापूर्ण व्यवहार के लिये जिला प्रशासन के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी?

श्री वीर बहादुर सिंह–

प्राप्त सूचना के अनुसार बलिया जनपद के कस्बा सहतवार निवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री इन्द्रदेव प्रसाद गुप्ता का देहान्त दिनांक 18-9-1987 को हुआ है। दिवंगत स्वतंत्रता सेनानी के शव पर शासन की ओर से तत्कालीन तहसीलदार द्वारा माल्यार्पण करके उनका सम्मान भी किया गया है तथा उनके पुत्र श्री आदित्य कुमार गुप्ता को दिनांक 25-9-1987 को 500 रु0 अनुग्रह राशि भी दी गयी है। इस सम्बन्ध में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के प्रति उपेक्षापूर्ण व्यवहार नहीं किया गया है अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

**अलीगढ़ के सिकन्दराराऊ क्षेत्र में स्थित अगसौली मंदिर पर गन्ना क्रय केन्द्र स्थापित किये जाने की मांग**

*19–श्री सुरेश प्रताप सिंह गांधी–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ जनपद के सिकन्दराराऊ क्षेत्र में स्थित अगसौली मंदिर स्थान पर गन्ना क्रय केन्द्र स्थापित करने के सम्बन्ध में क्षेत्रीय विधायक ने गन्ना आयुक्त से मांग की थी? यदि हां, तो क्या किसान सहकारी मिल साथा (अलीगढ़) अथवा न्योली शुगर मिल (एटा) में से किसी एक का क्रय केन्द्र अगसौली मंदिर स्थान पर स्थापित कराने की व्यवस्था आगामी पिराई सत्र से पूर्व करायेंगे? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है।

*20–श्री सूर्य प्रताप शाही–

[6वें शुक्रवार में ता0 प्र0 सं0 16 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

**अतारांकित प्रश्न**

**श्री शारदा नन्द अंचल स0वि0स0 के शिकायती पत्र पर जांच**

1–श्री शारदा नन्द अंचल–

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि उ0 प्र0 शासन के संयुक्त सचिव, गृह द्वारा प्रश्नकर्ता को लिखे गये अ0 शा0 प0 सं0-1922 सी एम/इ-11-87 उत्तर प्रदेश शासन गृह (पुलिस) अनुभाग 11 लखनऊ दिनांक 14 जनवरी, 1988 के संदर्भ में शिकायतकर्ता के आरोपों के किन-किन बिन्दुओं की जांच में थानेदार को दोषी पाया गया है और उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

प्रश्नगत मामले में जांच प्रचालित है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

2–श्री धनराज यादव–

[दिनांक 22-3-88 को अता0 प्र0 सं0 85 द्वारा उत्तरित]

**बस्ती जनपद के कोहड़ऊरा सोहना मार्ग पर निर्माणाधीन पुल**

3—श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद में कोहड़ऊरा सोहना मार्ग पर दो पुलों का निर्माण कराने हेतु वित्तीय वर्ष 86-87 में धन स्वीकृत हुआ था? यदि हां, तो वे पुल अब तक बन गये? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रश्नगत मार्ग के कि0 मी0 1 में एक सेतु एवं कि0 मी0 8 में दूसरे लघु सेतु का निर्माण कार्य जिला योजना में क्रमशः वर्ष 85-86 तथा वर्ष 84-85 में स्वीकृत हुए हैं।

दोनों लघु सेतु निर्माणाधीन हैं तथा 6/88 तक इनके पूर्ण हो जाने की आशा है।

**भकतिया कठेला मार्ग, जनपद बस्ती में प्रस्तावित पुल का निर्माण**

4—श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भकतिया कठेला मार्ग जनपद बस्ती में कठेला कोठी से आगे किसी पुल के निर्माण के लिए वित्तीय वर्ष 85-86 तथा 86-87 में धन स्वीकृत हुआ था? यदि हां, तो उसे अभी तक न बनाये जाने का क्या कारण है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां। वर्ष 85-86 में 3×3 मीटर स्थान के एक पुल निर्माण की वित्तीय स्वीकृत प्राप्त हुई थी।

पुल निर्माणाधीन है। जनपद योजना के अन्तर्गत सीमित संसाधनों के कारण कार्य अभी तक पूर्ण नहीं हो सका है। इस कार्य को 6/88 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।

5—श्री बदन सिंह—

[8वें बुधवार में अता0 प्र0 सं0 79 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

**जनपद उन्नाव में प्रस्तावित मिर्जापुर जैतीपुर सम्पर्क मार्ग के निर्माण की मांग**

6—श्री शारदा प्रताप—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव में प्रस्तावित मिर्जापुर जैतीपुर सम्पर्क मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 26 मई, 1987 उन्हें प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो क्या उक्त सम्पर्क मार्ग का निर्माण पूरा करा दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों और उसे कब तक पूरा करा दिया जाएगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां।

प्रश्नगत मार्ग लम्बाई 6 कि0 मी0 में से प्रथम 4 कि0 मी0 में कार्य खड़ंजा स्तर तक स्वीकृति के अनुसार पूर्ण किया जा चुका है। शेष अंतिम 2 कि0 मी0 में भूमि विलम्ब से उपलब्ध होने के कारण कार्य नहीं कराया जा सका जिस पर अब कार्य प्रगति पर है तथा जिसके जून, 1988 तक पूर्ण हो जाने की आशा है।

**जनपद बहराइच के कुवानों नदी पर पुल बनाने की मांग**

7—श्री राम सागर राव—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विकास खण्ड इकौना-खरगूपुर मार्ग कुवानों नदी पर पुल निर्माण कार्य शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूर्ण हो जावेगा? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी, नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण ।

**श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह निवासी भूपति पट्टी, थाना लाईन बाजार, जौनपुर द्वारा जान माल की सुरक्षा हेतु पत्र**

8—कुंवर रेवती रमण सिंह तथा श्री मैनेजर सिंह—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि वीरेन्द्र बहादुर सिंह निवासी भूपति पट्टी थाना लाईन बाजार, जौनपुर का प्रार्थना पत्र दिनांक 24-2-87 को जान माल की सुरक्षा प्रदान किये जाने से संबंधित है, शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो संदर्भित मामले में शासन स्तर से क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

जी हां। प्राप्त प्रार्थना पत्र की जांच कराई गई । डा0 वीरेन्द्र बहादुर सिंह की सुरक्षा हेतु स्थानीय पुलिस को निर्देश दे दिए गए हैं।

9—श्री मैनेजर सिंह—

[8वें सोमवार में अता0 प्र0 सं0 37 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

**जनपद आगरा-फिरोजाबाद और आगरा नगर में चोरी, डकैती इत्यादि की घटनाओं के ब्योरे की मांग**

10—श्री रघुबर दयाल वर्मा—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा-फिरोजाबाद और आगरा नगर में वर्ष 1986-87 और 1987-88 में हत्या, बलात्कार, अपहरण, डकैती, लूट और चोरी की कितनी घटनायें हुईं और उनमें कितने अभियुक्त गिरफ्तार हुये तथा कितनों की गिरफ्तारी शेष है ? उक्त अपराधों की बढ़ती गति को नियंत्रित करने की शासन ने क्या कदम उठाये हैं ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

सूचना एकत्र की जा रही है।

**श्री पन्नालाल शर्मा, ग्रा0 व पो0 गाजियाबाद जनपद आजमगढ़ द्वारा दिये गये पत्र की जांच**

11—श्री विष्णु देव—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें श्री पन्नालाल शर्मा, ग्राम व पो0-गाजियाबाद, थाना-मधुबन, जनपद-आजमगढ़ के पत्र में दिये गये तथ्यों की जांच विषयक

प्रार्थना पत्र के साथ प्रश्नकर्ता का पत्र सं0-1430/ज0पा0/87, दि0 5-12-87 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो प्रार्थना पत्र की जांच कब तथा किस अधिकारी ने की ? उक्त जांच का क्या परिणाम निकला ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

जी हां ।

प्रार्थना पत्र पर क्षेत्राधिकारी घोसी श्री विद्याधर शुक्ला द्वारा जांच कर जांच आख्या दिनांक 1-3-88 को प्रेषित की गई। प्रश्नगत प्रार्थना पत्र में की गई शिकायतों की पुष्टि नहीं हो पायी ।

**श्री किशोरी लाल ग्राम जमुनिया, थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर के यहां पड़ी डकैती की जांच कार्यवाही**

12–श्री विष्णु देव–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री किशोरी लाल, ग्राम जमुनिया, थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर के यहां 25 व 26 अप्रैल सन् 85 को भीषण डकैती पड़ने संबंधी उनके प्रार्थना पत्र के साथ प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 13-10-87 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो प्रार्थना पत्र की जांच कब तथा किस अधिकारी ने की तथा क्या परिणाम निकला ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

जी हां ।

प्रार्थना-पत्र की जांच श्री एस0 के0 सिंह, सहायक पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर द्वारा दिनांक 31-3-88 को की गई । जांच से श्री किशोरी लाल को किसी अपरिचित व्यक्ति द्वारा प्रत्यक्ष रूप से कोई धमकी दिए जाने की पुष्टि नहीं हुई । उससे थाने पर जबरदस्ती किसी कागज पर हस्ताक्षर कराये जाने की बात भी सही नहीं पाई गयी, बल्कि यह पाया गया कि उसे मुकदमें के परिणाम से अवगत कराने के लिए अन्तिम रिपोर्ट पर हस्ताक्षर कराये गये थे । इस समय श्री किशोरी लाल को स्थानीय पुलिस से कोई शिकायत नहीं है । उनके परिवार की सुरक्षा के लिए थानाध्यक्ष गुलरिहा को कड़े निर्देश दे दिए गये हैं । सम्प्रति उपर्युक्त प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित डकैती के अपराध के सम्बन्ध में पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही का सी0 आई0 डी0 द्वारा चेकअप कराया जा रहा है ।

**श्री विन्ध्याचल यादव मीरपुर, थाना मधुबन, जनपद आजमगढ़ द्वारा दिए गये शिकायती-पत्र पर जांच का परिणाम**

13–श्री विष्णु देव–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें श्री विन्ध्याचल यादव ग्राम मीरपुर टण्डवा थाना मधुबन जनपद आजमगढ़ के प्रार्थना-पत्र में दिए गए तथ्यों की जांच सम्बन्धी प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 1433/ज0प0/87 दिनांक 5-12-87 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसकी जांच कब किस अधिकारी ने की और जांच का क्या परिणाम निकला ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

जी हां ।

प्रश्नगत प्रकरण से संबंधित तथ्यों पर जांच क्षेत्राधिकारी घोसी श्री बाबू राम द्वारा दिनांक 31-12-87 को कराई गई थी । जांच से आरोप निराधार पाए गए ।

**श्री राजेन्द्र नाथ राय, निवासी आदमपुर थाना मधुवन, आजमगढ़ द्वारा ग्रामवासियों के उत्पीड़न के सम्बन्ध में प्राप्त पत्र पर कार्यवाही**

14–श्री विष्णु देव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राजेन्द्र नाथ राय, निवासी ग्राम आदमपुर थाना मधुवन जनपद आजमगढ़ द्वारा ग्रामवासियों को उत्पीड़न करने आदि के सम्बन्ध में श्री मुन्नीलाल यादव आदि निवासी ग्राम आदमपुर के प्रार्थना-पत्र के साथ उन्हें प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 10-11-1987 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

जी हां ।

प्रश्न में उल्लिखित प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ था जिसकी जांच करने पर ज्ञात हुआ कि ग्राम सभा भूमि पर दोनों पक्ष अनाधिकार कब्जा करना चाहते थे कब्जे को लेकर उभय पक्षों में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई थी । विवाद को देखते हुए थानाध्यक्ष मधुबन की आख्या पर धारा 145 सी0 आर0 पी0 सी0 की कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है । शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु भी सम्बन्धित थानाध्यक्ष को निर्देशित किया जा चुका है ।

**अभियोजन निदेशालय में एक्सटेन्शन एवं पुनर्नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र की संख्या एवं, उन पर कृत कार्यवाही**

15–श्री बालेश्वर–

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अभियोजन निदेशालय में विगत चार वर्षों से कितने अधिकारियों ने एक्सटेन्शन पुनर्नियुक्ति हेतु आवेदन-पत्र दिए और उनमें से कितने अधिकारियों को किन-किन आधारों पर एक्सटेन्शन एवं पुनर्नियुक्ति दी गयी और कितने अधिकारियों के आवेदन-पत्र किन आधारों पर खारिज किये गये तथा क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

विगत चार वर्षों में कुल 22 अधिकारियों के एक्सटेंशन/पुनर्नियुक्ति के आवेदन-पत्र प्राप्त हुए । इनमें से 8 अधिकारियों को शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1/2-1973-कार्मिक-2, दिनांक 25-10-1980 एवं उत्तर प्रदेश फण्डामेन्टल (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1987 के प्राविधानों के अन्तर्गत जनहित में एक्सटेंशन/पुनर्नियुक्ति प्रदान की गई ।

दो अधिकारियों के आवेदन-पत्र उनके कार्य के स्तर को देखते हुए पुनर्नियुक्ति हेतु उनके प्रार्थना-पत्र महानिदेशक अभियोजन द्वारा अग्रसारित नहीं किये गये ।

12 अधिकारियों के आवेदन पत्र शासन को अग्रसारित किये गये किन्तु शासन द्वारा 8 अधिकारियों के प्रार्थना-पत्र विचारोपरान्त अस्वीकृत किये गये तथा शेष 4 अधिकारियों के प्रार्थना-पत्रों पर, माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश दिनांक 23-12-1987 के परिप्रेक्ष्य में विचार नहीं किया गया ।

**अभियोजन विभाग में ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी (ज्येष्ठ वेतन मान) की प्रोन्नति हेतु शासन की नीति**

16—श्री बालेश्वर—

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारियों एवं ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी विशेष वेतन मान के पदों पर प्रोन्नति शासन में कितने अवधि से लम्बित है? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उपरोक्त अधिकारियों को प्रोन्नति के सम्बन्ध में जो प्रक्रिया अपनायी जाती है उसमें विलम्ब के फलस्वरूप उनके अधीनस्थ अधिकारी प्रोन्नति से वंचित रह जाते हैं? यदि हां, तो ऐसा क्यों?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी विशेष वेतनमान का कोई पद नहीं है। अभियोजन विभाग में ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी (साधारण वेतनमान) एवं ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी (ज्येष्ठ वेतनमान)/उप निदेशक अभियोजन के पद हैं। वर्तमान में ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी (ज्येष्ठ वेतनमान)/उप निदेशक अभियोजन के रिक्त पदों पर प्रोन्नति हेतु कोई प्रस्ताव शासन में लम्बित नहीं है। ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी (ज्येष्ठ वेतनमान)/उप निदेशक के पदों पर जो प्रोन्नति के प्रस्ताव शासन में माह जुलाई, 1987 में प्राप्त हुए, उन पर तदर्थ प्रोन्नति के आदेश दिनांक 15-3-1988 को जारी किये जा चुके हैं। प्रोन्नति के पात्र अधिकारियों के वार्षिक गोपनीय मन्तव्य जनपदों से समय पर उपलब्ध न होने के कारण प्रोन्नति के मामले में समय लगा। ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी (साधारण वेतनमान) के पदों पर प्रोन्नति के प्रस्ताव पर चयन की समुचित प्रक्रिया अपनाकर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

यह कहना सही नहीं है कि अधिकारियों की प्रोन्नति के सम्बन्ध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया में विलम्ब के फलस्वरूप अधिकारीगण प्रोन्नति से वंचित रह जाते हैं, जैसा कि प्रोन्नति के निम्न आंकड़ों से स्पष्ट है:—

| वर्ष | ज्ये0अ0अ0 (ज्ये0वे0) | ज्ये0अ0अ0 (सा0वे0) |
|---|---|---|
| 1985 | 17 | 29 |
| 1986 | 17 | .. |
| 1987 | .. | 65 |

17—श्री बलराम यादव—

[8वें मंगलवार के लिए स्थगित]

18—श्री कमलेश कुमार पाठक—

[कई विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त]

**श्री मोहम्मद हनफी, सहायक अभियन्ता अकबरपुर फैजाबाद के विरुद्ध शिकायत पर जांच की कार्यवाही**

19—श्री वीर बहादुर सिंह—

विधान सभा के 1987 के तृतीय सत्र के पहले मंगलवार के लिये निर्धारित अता0 प्र0 सं0 118 के उत्तर के संबंध में क्या सा0 नि0 मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संबंधित सहायक अभियन्ता के विरुद्ध क्या-क्या शिकायतें हैं तथा किस व्यक्ति द्वारा कब शिकायत की गई और अब तक जांच में क्या-क्या तथ्य प्रकाश में आये हैं ? जांच में अभी और कितना समय लगेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

कालेपुर-बाकरगंज-महुअल मार्ग के कि0मी0 2 में मिट्टी के कार्य के फर्जी भुगतान की शिकायत की गई है ।

शिकायत श्री जिया राम पुत्र श्री मुनेश्वर निवासी ग्राम रूस्तमपुर अखई द्वारा की गई है। मूल अभिलेख पुलिस द्वारा ले लिये जाने के कारण जांच पूरी नहीं हो सकी है।

पुलिस द्वारा अभिलेख वापस किये जाने के बाद ही कुछ बताना सम्भव हो पायेगा।

**जनपद बरेली के थानाध्यक्षों/उपनिरीक्षकों के खिलाफ पंजीकृत मुकदमों की संख्या तथा जांच के परिणाम**

20—श्री नत्थू लाल विकल—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1986-87 में बरेली जनपद में कितने थाना अध्यक्षों व उपनिरीक्षकों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में मुकदमें पंजीकृत हैं तथा कितने मुकदमों की जांच पूरी हो गई और कितने दोषी पाये गये हैं और जो निर्दोष पाये गये हैं उनमें से कितनों को अब तक थानाध्यक्ष बनाया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 1986-87 की अवधि में कुल पांच उप निरीक्षकों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत हुए थे । इनमें से चार अभियोगों में अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की गयी है । एक मुकदमें की जांच भ्रष्टाचार निवारण संगठन द्वारा की जा रही है ।

जैसा कि ऊपर स्पष्ट किया गया है कि 4 मामलों में अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित किये जाने के कारण 4 उपनिरीक्षक निर्दोष पाये गये। इन उपनिरीक्षकों में से कोई भी उप निरीक्षक थानाध्यक्ष पद के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया ।

**बरेली जोन के जनपदों में निर्धारित उम्र से अधिक आयु वाले थानाध्यक्षों की संख्या एवं प्रभारी बने रहने का औचित्य**

21—श्री नत्थू लाल विकल—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली जोन में ऐसे कितने थानाध्यक्ष विभिन्न थानों में नियुक्त हैं जिनकी अवस्था 50 या उससे अधिक है ? क्या वर्ष 1986-87 में पुलिस महानिदेशक द्वारा इस आयु के लोगों को थानाध्यक्ष न बनाने का कोई आदेश भी किया गया है ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

बरेली जोन के जनपदों में 15 ऐसे थानाध्यक्ष हैं जिनकी आयु 50 वर्ष से अधिक है। जी हां, शासनादेशानुसार सामान्यतया 50 वर्ष की आयु के ऊपर के उपनिरीक्षकों/निरीक्षकों को थाना का प्रभारी न बनाने के आदेश हैं। परन्तु अपरिहार्य परिस्थितियों में सक्षम विभागीय अधिकारियों से औपचारिक स्वीकृति लेकर प्रभारी नियुक्त किये जाने का प्राविधान है।

**विकास भवन, जनपद मार्केट लखनऊ में साइकिल स्टैन्ड, चौकीदार व सफाई की व्यवस्था**

22–श्री राकेश धर त्रिपाठी–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सत्य है कि जनपद मार्केट के अन्दर विकास भवन में कार्यरत सचिवालय कर्मचारियों हेतु जो साइकिल स्टैन्ड है उसमें साइकिलों की देखभाल के लिए वर्ष 1985 से न तो कोई चौकीदार है और न ही बिजली व सफाई की कोई व्यवस्था है? यदि हां, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं। प्रत्येक साइकिल स्टैन्ड पर चौकीदार नियुक्त है तथा वहां सफाई व बिजली की उचित व्यवस्था है।

**थाना हजरतगंज, लखनऊ में साइकिल स्टैण्डों से साइकिलों की चोरी सम्बन्धी दर्ज रिपोर्ट की जानकारी की मांग**

23–श्री राकेशधर त्रिपाठी–

क्या मुख्य मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि विगत तीन वर्षों में अर्थात 1985-1986 तथा 1987 (माह अगस्त 1987 तक) इस साइकिल स्टैण्ड से साइकिलों के उठ जाने की कितनी घटनायें हुईं तथा कितनी साइकिलों की गुमशुदगी की लिखित सूचना हजरतगंज थाने में दर्ज है और उनमें से कितनी साईकिलें पुलिस द्वारा बरामद की गयीं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

किसी भी साइकिल के चोरी जाने की रिपोर्ट शासन को प्राप्त नहीं हुई।

24–श्री राकेश धर त्रिपाठी–

[अस्पष्टता के आधार पर निरस्त]

25–श्री शारदानन्द अंचल–

[8वें मंगलवार के लिए स्थगित]

**श्री ए0 क्यू0 खां अधिशासी अभियन्ता को अकार्यकारी खण्ड में स्थानान्तरित करके, सतर्कता अधिष्ठान से जांच की मांग**

26–श्री सरदार सिंह तथा श्री यदुनाथ सिंह–

क्या सा0 नि0 वि0 मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राजेश पटेल, सह सम्पादक का पत्र दिनांक 18-6-87 तथा 7-12-87 जो मुख्य मंत्री/मुख्य सचिव/सचिव, सा0 नि0 वि0 को भेजा गया की प्राप्ति अभ्यर्थना अनुभाग-1 के पत्रांक 47/

1812-चौंतिस-1-87 दिनांक 29-10-87 से स्वीकार की गयी है? यदि हां, तो इस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? क्या श्री ए0 क्यू0 खां, अधिशासी अभियन्ता को अकार्यकारी खण्ड में स्थानान्तरित करके प्रश्नकर्ता के शिकायती पत्र दिनांक 11-9-86, 9-10-86, 10-3-87, 4-4-87, 5-12-87, 18-12-87, 21-12-87, 2-1-88 एवं 12-1-88 पर सतर्कता अधिष्ठान से जांच करायेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां।

मुख्य अभियन्ता राष्ट्रीय मार्ग द्वारा जांच की जा रही है।

प्रश्नकर्ता के नहीं माननीय सदस्य विधान सभा श्री यदुनाथ सिंह के शिकायती पत्र दिनांक 11-9-86, 10-3-87, 4-4-87, 18-12-87, 2-1-88, 12-1-88 प्राप्त हुए। शिकायती पत्र दिनांक 10-3-87 एवं 4-4-87 पर जांच मुख्य प्राविधिक परीक्षक से करायी जा रही है। शेष पत्रों को, मुख्य अभियन्ता को जांच करके आख्या प्रस्तुत करने के लिए लिखा जा रहा है।

शिकायती -पत्र दिनांक 5-12-87 एवं 21-12-87 प्राप्त नहीं हुए हैं।

**अधीक्षण अभियन्ताओं एवं मुख्य अभियन्ताओं के विरुद्ध जांच अधिकारी का पद एवं जांच हेतु लम्बित मामले की जानकारी की मांग**

27–श्री सरदार सिंह–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि सा0 नि0 वि0 में अधीक्षण अभियन्ताओं एवं मुख्य अभियन्ताओं के विरुद्ध जांच किस स्तर के अधिकारी के द्वारा की जाती है? 1 अप्रैल, 1984 से कितने अधीक्षण-अभियन्ताओं एवं मुख्य अभियन्ताओं की शिकायतें प्राप्त हुईं, किन-किन अधिकारियों द्वारा जांच की गयी है? कितनी शिकायतों पर निर्णय लिया जा चुका है, क्या-क्या दण्ड दिये गये हैं और कितनी शिकायतें लम्बित हैं? नियमानुसार किसी जांच के लिए शासन द्वारा कितना समय अपेक्षित है, निर्धारित समय में कितनी शिकायतों की जांच की जा चुकी है? जिन अधिकारियों द्वारा निर्धारित अवधि में जांच नहीं की गयी है उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है।

28–श्री सरदार सिंह–

[8वें मंगलवार के लिए स्थगित]

**दारुलशफा, कैबिनेटगंज, अशोक नगर में राज्य सम्पत्ति द्वारा निर्मित तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को आवंटित आवासों की संख्या एवं किराया नीति**

29–श्री वीरेन्द्र सिंह (एटा)–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे, कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों हेतु राज्य सम्पत्ति विभाग की दारुलशफा, कैबिनेटगंज, अशोक नगर तथा विधायक निवास

नं0–3 स्थित कालोनियों में तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को कितने-कितने आवास आवंटित हैं? उक्त कर्मचारियों से कितना किराया वसूला जा रहा है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

उल्लिखित कालोनियों में तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को आवंटित किये गये आवासों के संबंध में स्थिति सूची में संलग्न है।

नियमानुसार तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों से उनके मूल वेतन का 10 प्रतिशत अथवा मानक दर, जो भी कम हो, किराये के रूप में वसूल किये जाने का प्राविधान है।

(दाखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 54 पर)

**ग्राम नगवारा, थाना अतर्रा, बांदा के हरिजन ग्रामवासियों को आवंटित भूमि पर कब्जा**

30–श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 13 नवम्बर, 86 को ग्राम-नगवारा थाना अतर्रा जनपद बांदा के ग्रामीण हरिजनों के पत्र के साथ अत्याचार के संबंध में उन्हें प्राप्त हुआ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही हुई?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

जी हां।

प्रश्नगत प्रार्थना-पत्र की जांच कराई गई। प्राप्त सूचनानुसार सभी पट्टेदारों को सीमांकन कराकर आवंटित भूमि पर कब्जा दिया जा चुका है। कोई भी आवंटी कब्जा पाने को शेष नहीं है।

**जनपद बांदा के कतिपय थानों में टेलीफोन व्यवस्था की कार्यवाही**

31–श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जनपद में कितने ऐसे थाने हैं जिनमें टेलीफोन की व्यवस्था नहीं है? क्या इन थानों में टेलीफोन की सुविधा अविलम्ब प्रदान की जायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

जनपद बांदा में आठ थानों में टेलीफोन एक्सचेंज की सुविधा न होने के कारण टेलीफोन नहीं लगे हैं। उक्त सुविधा उपलब्ध हो जाने पर टेलीफोन लगाने की कार्यवाही की जायगी।

**जनपद बांदा की कोतवाली नरैनी में पर्याप्त पुलिस फोर्स**

32–श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जनपद की कोतवाली नरैनी में आबादी एवं जुर्मों को देखते हुए कब तक पुलिस फोर्स की पूर्ति हो जायेगी?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

जनपद बांदा की कोतवाली नरैनी में आबादी एवं जुर्मों को देखते हुए पुलिस बल पर्याप्त है।

**जिला चयन समितियों को शासन द्वारा भेजे गये शासनादेश एवं न्यायालय के आदेश**

33—श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या दिनांक 24-6-87 को राज्य सरकार द्वारा जिला चयन समितियों के संबंध में प्रदेश के जनपदों को कोई रेडियोग्राम (शासनादेश) भेजा गया है? यदि हां, तो वह क्या है? क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि जनपद फतेहपुर के चयनित अभ्यर्थियों द्वारा मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में याचिका सं0 11017/1986 हरीला वगैरह, बनाम उत्तर प्रदेश सरकार दाखिल की थी? यदि हां, तो राज्य सरकार के लिए न्यायालय के लिए क्या आदेश है?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां। शासन द्वारा दिनांक 24 जून, 1986 को (दिनांक 24 जून, 1987 नहीं) रेडियोग्राम द्वारा यह निर्देश निर्गत किए गए थे कि वर्तमान नियमों के अनुसार भर्ती वर्ष जून, 1986 में पूरा होगा। अतः दिनांक 30-6-86 तक उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध वर्तमान जिला चयन समितियों द्वारा तैयार की गयी चयन सूचियों में से नियुक्ति की जायेगी और उक्त तिथि के पश्चात् यह चयन सूचियां निष्प्रभावी मानी जाएगी। तद्नुसार नियम बनाये जाने का उल्लेख भी उक्त रेडियोग्राम में किया गया था।

हरी लाल आदि द्वारा राज्य सरकार तथा जिलाधिकारी फतेहपुर के विरुद्ध योजित रिट याचिका संख्या : 11017/1986 पर माननीय उच्च न्यायालय ने यह आदेश दिये थे कि रेडियोग्राम दिनांक 24 जून, 1986 में निहित निर्देशों को कार्यान्वित न किया जाए तथा 9 अप्रैल, एवं 9 मई, 1986 को तैयार की गयी सूचियों से नियुक्तियां उस समय तक की जाय जब तक कि विधिक प्राविधानों के अन्तर्गत नया चयन न हो जाय।

34—श्री राज किशोर सिंह—

[करण संख्या 26(1) के अन्तर्गत उत्तरित]

35—श्री सुखपाल पाण्डे—

[दिनांक 8-3-88 को अता0 प्र0 सं0 120 द्वारा उत्तरित]

36—श्री यदुनाथ सिंह—

[8वें मंगलवार के लिए स्थगित]

**पी0 सी0 एफ0, लखनऊ के अपर विक्री कर बकाया के संबंध में शिकायती पत्र पर कार्यवाही**

37—श्री यदुनाथ सिंह—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1987 के पहले मंगलवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 16 के संदर्भ में क्या वित्त मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि पत्र संख्या 1548 में किन-किन बिन्दुओं पर जांचोपरान्त जानकारी देने का अनुरोध किया गया था ? इस सम्बन्ध में की गयी जांच का क्या परिणाम रहा ? यदि जांच अभी तक पूरी नहीं हुई, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

माननीय सदस्य के पत्र संख्या 1548 में उठाये गये बिन्दुओं पर जांचोपरान्त उत्तर भेज दिया गया है ।

38–श्री यदुनाथ सिंह–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

**बस्ती जनपद के विधायक क्षेत्रों की सड़कों को पक्का तथा पेटिंग कराये जाने का विवरण**

39–श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद में सा0 नि0 वि0 द्वारा वित्तीय वर्ष 87-88 में किन-किन विधायक क्षेत्रों में कितने किलो मीटर सड़कों को पक्का, कितने कि0 मी0 की पेटिंग, कितने कि0 मी0 मिट्टी का कार्य कराया गया ? क्या सम्पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जनपद बस्ती के समस्त 14 विधान सभा क्षेत्रों की वांछित सूचना संलग्नक "क" व "ख" के अनुसार है ।

[देखिए नत्थी (घ) आगे पृष्ठ 55-56 पर]

**जनपद जौनपुर के ग्राम विधुना में घटी घटना की जांच एवं कार्यवाही**

40–श्री अर्जुन सिंह यादव–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 6-1-86 जो कि जनपद जौनपुर ग्राम विदुना में दिनांक 8/9-11-85 को घटित घटना के सम्बन्ध में था, प्राप्त हुआ ? क्या जांच करा ली गई ? यदि हां, तो जांच कब और किससे कराई गई तथा दोषी व्यक्ति कौन है और उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

जी हां ।

जी हां ।

शिकायतों की जांच श्रीमती एस0 के0 मेहरा तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, जौनपुर द्वारा अप्रैल, 1986 में की गई जिसमें श्री एस0 एन0 यादव उप निरीक्षक को दोषी पाया गया । श्री यादव के विरुद्ध थाना लाइनबाजार जौनपुर में अभियोग संख्या-77/85 धारा 342/323 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत कर उनका स्थानान्तरण जनपद हमीरपुर कर दिया गया है । अभियुक्त श्री यादव दिनांक 13-2-87 को न्यायालय द्वारा रिहा किये जा चुके हैं ।

**हेड कांसटेबुल पुलिस उ0 प्र0 की पदोन्नति में की गई अनियमितता की जांच**

41–श्री अर्जुन सिंह यादव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 16-12-85 जो कि हेड कांसटेबिल पुलिस (उ0 प्र0) की पदोन्नति में अनियमितता बरती जाने के संबंध में था, प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

जी हां ।

संदर्भित पत्र की प्रति शासनादेश संख्या 13 (वी)/8-10-1200(31)/84 दिनांक 29-3-86 द्वारा आवश्यक कार्यवाही हेतु पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद को प्रेषित की गई । पुलिस आफिस मैनुअल के प्रस्तर 191 के अंतर्गत दिनांक 30-9-84 तक पदोन्नति पाये हुए स्थानापन्न उपनिरीक्षकों को निर्धारित शर्तों के अधीन उप निरीक्षकों के पद पदास्थापित करने हेतु 1300 अतिरिक्त (सुपरन्युमरेरी) पद सृजित किये जा चुके हैं । जिन हेड कान्सटेबिल की पदोन्नति निर्धारित शर्तों के अधीन अभी तक नहीं की गई हैं । जिन हेड कान्सटेबिल की पदोन्नति निर्धारित शर्तों के अधीन अभी तक नहीं की गई हैं उनके मामलों का पुनरीक्षण करने के लिए पुलिस मुख्यालय को निर्देश दे दिये गये हैं ।

**श्रीमती सूरज कौर मेहरा तत्कालीन पुलिस अधीक्षक जौनपुर के विरुद्ध शिकायती पत्र पर जांच**

42–श्री अर्जुन सिंह यादव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 16-12-85 तत्कालीन पुलिस अधीक्षक जौनपुर श्रीमती सूरज कौर मेहरा के संबंध में था, प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो क्या बिन्दुवार जांच करा ली गई ? यदि नहीं, तो क्यों तथा किस अधिकारी द्वारा जांच कराई गई ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

जी हां । पुलिस महानिदेशक ने पुलिस उप महानिरीक्षक, वाराणसी परिक्षेत्र को जांच के आदेश दिये थे । पुलिस उप महानिरीक्षक वाराणसी ने वर्तमान पुलिस अधीक्षक, जौनपुर श्री वी0 पी0 गुप्ता से जांच करा कर जांच आख्या पुलिस महानिदेशक को प्रेषित की । पुलिस महानिदेशक का लिखा गया है कि वे पुलिस उप महानिरीक्षक वाराणसी परिक्षेत्र को स्वतः जांच करने हेतु निर्देशित करें ।

**जनपद लखनऊ के माल थाने के दरोगा द्वारा श्री मैकू पुत्र कालीचरण की कथित पिटाई**

43–श्री अचल सिंह–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माल थाने के दरोगा, आर0 पी0 सिंह, मैकू पुत्र कालीचरण, ग्राम-सैदापुर, थाना-माल, लखनऊ को दिनांक 6-9-87 को सुबह लगभग 10.00 बजे उसके घर से बुलाकर थाने पर ले गये तथा थाने में उसको तथा उसके लड़के को मारा-पीटा जिससे हाथ-पैर की हड्डियां टूट गयी तथा उन्हें भा0 द0 सं0 की संगीन धाराओं में बन्द कर दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार श्री मैकू के जान-माल की सुरक्षा करेगी ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

जी नहीं । प्राप्त सूचना के अनुसार श्री मैकू एवं उनके पुत्र रमेश चन्द्र एवं उनके विपक्षी (श्री मैकू के सगे भाई) को शांति बनाये रखने हेतु धारा 151 द0 वि0 सं0 के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया तथा उनके विरुद्ध 107/116 द0 वि0 सं0 के अंतर्गत कार्यवाही की गई । पुलिस के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं हुई है । अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

44—श्री शेर बहादुर सिंह—

[7वें मंगलवार में अता0 प्र0 सं0 62 के अंतर्गत स्थानान्तरित]

**जनपद गोरखपुर में प्रति बंधित दिनों मे शराब की बिक्री पर रोक संबंधी कथित सूचनाएं**

45—श्री जनार्दन प्रसाद आभा तथा

श्री वीरेन्द्र प्रताप शाही—

क्या गृह मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि प्रतिबंधित दिन महीने की 1 एवं 7 तारीख एवं सार्वजनिक छुट्टियों के दिन भी घुघली (गोरखपुर) में शराब की बिक्री के विरुद्ध स्थानीय थानाध्यक्ष को गत वर्ष दो सूचनाएं प्रश्नकर्ता ने दिया था ? यदि हां, तो क्या रिपोर्ट दर्ज कर कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

जी नहीं ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

**श्री रघुवंश उपाध्याय अध्यक्ष, गन्ना सहकारी समिति घुघली गोरखपुर के स्व0 पिता एवं चाचा के नाम समिति के ऋण को उनके वारिसों के नाम पर स्थानान्तरण**

46—श्री जनार्दन प्रसाद आभा तथा

श्री वीरेन्द्र प्रताप शाही—

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि गन्ना सहकारी समिति घुघली (गोरखपुर) के अध्यक्ष श्री रघुवंश उपाध्याय के स्व0 पिता एवं स्व0 चाचा के नाम समिति का ऋण था, जो उक्त दोनों के मृत्यु के बाद भी वारिसों के नाम नहीं आया, जब कि उक्त दोनों मृतकों की पूरी चल-अचल सम्पत्ति उत्तराधिकार के रूप में श्री रघुवंश उपाध्याय एवं उनके एक दूसरे भाई के नाम आ गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां । उक्त दोनों की मृत्यु के उपरांत तत्कालीन गन्ना समिति के सचिवों के असावधानी के कारण यह ऋण उनके वारिसों के नाम नहीं चढ़ाया गया था । इस वर्ष केन लेजर में इसे चढ़ाया गया है ।

**गोरखपुर सोनौली मार्ग को फरेन्दा से सोनौली तक चौड़ा कराये जाने की मांग**

47—श्री हर्ष वर्धन—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर जनपद में गोरखपुर सोनौली मार्ग को फरेन्दा से सोनौली तक चौड़ा कराये जाने के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 52/ज0 पा0/87 दिनांक 7-1-1987 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर आज तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

सूचना एकत्र की जा रही है ।

48—श्री हर्ष वर्धन—

[दिनांक 8-3-88 को अता0 प्र0 सं0 111 द्वारा उत्तारित]

49—श्री हर्ष वर्धन—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

50—श्री हर्ष वर्धन—

[8वें मंगलवार के लिए स्थगित]

51—52—श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

[दिनांक 30-6-87 को क्रमशः अता0 प्र0 सं0 4 व175 द्वारा उत्तरित]

53—श्री विक्रमादित्य पाण्डेय तथा

श्री मैनेजर सिंह—

[दिनांक 29-3-88 को अता0 प्र0 सं0 131 द्वारा उत्तरित]

**प्रदेश के जनपदों में पत्रकारों द्वारा मान्यता हेतु दिये गये आवेदन पत्रों की संख्या एवं दी गई मान्यता**

54—श्री शारदा नन्द अंचल—

क्या सूचना मंत्री को जानकारी है कितने पत्रकारों ने वर्ष 1985-86 व 1986-87 में मान्यता हेतु आवेदन-पत्र जनपद वार दिये हैं और कितनों को मान्यता दी गयी है ?

पर्यावरण एवं परिस्थिति विज्ञान मंत्री (श्रीमती दीपा)—

जी हां, जनपदवार सूची संलग्न है ।

[देखिए नत्थी (घ) आगे पृष्ठ 57-58 पर]

**प्रधान प्रबन्धक, सहकारी चीनी मिल जनपद लखीमपुर खीरी के कार्यकाल में अतिथि गृह पर खर्च किये गये धनराशि का विवरण**

55—श्री शारदानन्द अंचल—

क्या चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्तमान प्रधान प्रबन्धक, सहकारी चीनी मिल सम्पूर्णानगर, जनपद-लखीमपुर-खीरी श्री लवकुश त्रिपाठी के कार्यकाल में "अतिथि गृह" पर कुल कितने रुपये किन-किन मदों में व्यय किये गये ? श्री त्रिपाठी के कार्यकाल वर्ष 1986-87 व 1987-88 में सरकारी पैसे का उक्त अतिथि गृह पर किये गये खर्च की जांच कराकर दोषी प्रधान प्रबन्धक को दण्डित करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सहकारी चीनी मिल सम्पूर्णानगर, खीरी के निवर्तमान प्रधान प्रबन्धक के कार्यकाल में वर्ष 1986-87 में मिल के अतिथि गृह में कुल 87,054.38 रुपये व्यय हुआ। इसी प्रकार वर्ष 1987-88 में अतिथि गृह में 48,221.40 रुपये व्यय हुआ । उपयुक्त व्यय अतिथि गृह में अतिथियों के भोजन, जलपान, निवास तथा समय-समय पर आयोजित बैठकें, गोष्ठीयां तथा सम्मेलनों आदि के मदों पर किया गया ।

अतिथि गृह के फर्नीचर, फिक्चर्स तथा साज सज्जा पर वर्ष 1986-87 में 1,47,758·98 रुपये का पूंजीगत व्यय हुआ । उपर्युक्त राजस्व एवं पूंजीगत व्यय इस मिल की दूरदराज एवं एकाकी स्थिति तथा व्यापक व्यापार क्षेत्र को दृष्टिगत रखते हुए औचित्यपूर्ण है । वर्ष 86-87 के लेखे सम्परीक्षित हो चुके हैं तथा लेखा परीक्षकों द्वारा आपत्ति नहीं उठाई गई है । अतः किसी के दोषी होने का प्रश्न नहीं उठता ।

**संयुक्त सचिव, उ0 प्र0 शासन द्वारा प्रश्नकर्ता को लिखे पत्र पर कार्यवाही की मांग**

56–श्री शारदा नन्द अंचल–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि प्रश्नकर्ता को श्री जे0 एस0 मिश्र संयुक्त सचिव उत्तर प्रदेश शासन द्वारा लिखे अ0 शा0 प0 सं0-1136 टी0 वी0/आठ-11-1335 एम/87 उ0 प्र0 शासन गृह (पुलिस) अनुभाग-11 लखनऊ दिनांक 7 जनवरी, 88 के संदर्भ में अब तक क्या कार्यवाही सुनिश्चित की गई ? यदि नहीं, तो इस गम्भीर शिकायत को लम्बित रखने वालों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

शासन द्वारा प्रश्नगत प्रकरण की उच्च अधिकारी द्वारा जांच कराये जाने के आदेश जिला मजिस्ट्रेट बलिया को निर्गत किये गये हैं । जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी ।

**श्री राम शंकर अवस्थी जनपद कानपुर देहात द्वारा पुलिस अधीक्षक को भेजे गये कथित पत्र पर कार्यवाही की मांग**

57–श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री राम शंकर अवस्थी, ग्राम व पोस्ट नथेली, थाना-गजहर, जनपद-कानपुर देहात को पुलिस अधीक्षक, जनपद-कानपुर देहात को सम्बोधित कोई पत्र दिनांक 30-9-85 उसी तिथि को संलग्न पत्र श्री जगेन्द्र स्वरूप, एम0 एल0 सी0 कानपुर के संलग्नक सहित क्षेत्राधिकारी, घाटमपुर से प्राप्त किया है ? यदि हां, तो क्या क्षुब्ध पक्ष की समस्याओं का निवारण कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**श्री विष्णु पटैरया एवं महेश पटैरया थाना जखौरा जिला ललितपुर के विरुद्ध पंजीकृत मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन**

58–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अपराध संख्या 161/86 धारा 147, 148, 149, 326, 307, 302 भा0 द0 सं0 थाना जखौरा जिला ललितपुर के अंतर्गत श्री विष्णु पटैरया एवं श्री महेश पटैरया को फर्जी फंसाये जाने के

कारण सी0 आई0 डी0 जांच कराने हेतु सर्व श्री राजेश खैरा, सदस्य विधान सभा कांग्रेस (इ) का पत्र दिनांक 11-11-86 तथा प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 13-11-87 उन्हें प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो क्या सी0 आई0 डी0 जांच के आदेश निर्गत कर दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो कब तक आदेश जारी कर दिये जायेंगे ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

प्रश्न में संदर्भित मा0 सदस्य श्री राजेश खैरा के पत्र दिनांक 11-11-86 एवं प्रश्नकर्ता का दिनांक 13-1-87 (नकि दिनांक 13-11-87) के पत्र प्राप्त हुये हैं ।

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्न में संदर्भित मुकदमों में विवेचनोपरांत सभी 5 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप प्रमाणित होने पर आरोप पत्र दिनांक 24-8-86 को न्यायालय भेजा जा चुका है, जो विचाराधीन न्यायालय है । मामले में सी0 आई0 डी0 जांच कराये जाने की आवश्यकता नहीं पाई गई ।

**श्री गंगासरन पुत्र नत्थू सिंह की हत्या विषयक सूचना पर थाना बीबीनगर जनपद बुलन्द-शहर में पंजीकृत अपराध की विवेचना**

59–श्री किरन पाल सिंह–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा 28-3-86 को एक हरिजन श्री गंगासरन पुत्र नत्थू सिंह की हत्या के संबंध में थाना बीबी नगर, बुलन्दशहर में कोई प्राथमिक सूचना दर्ज कराई गयी थी ? यदि हां, तो उक्त संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

जी हां ।

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नकर्ता द्वारा थाना बी0 बी0 नगर पर एक इस आशय की मौखिक सूचना अंकित करायी गयी कि बिजली विभाग की लापरवाही के कारण ट्रांसफारमर के तारों को छू लेने से श्री गंगासरन पुत्र नत्थू सिंह निवासी नगला कदम की मृत्यु हो गयी । इस सूचना के आधार पर थाना बी0 बी0 नगर पर एक मुकदमा अंतर्गत धारा 304-ए0 भा0 दं0 वि0 बनाम कर्मचारीगण, विद्युत विभाग, कुचेसर के विरुद्ध पंजीकृत की गई । इस अपराध की विवेचना गहराई से की जा रही है ।

**श्री चरण सिंह निवासी पसौरां थाना अगौता जनपद बुलन्दशहर की स्वाभाविक परि-स्थितियों में मृत्यु**

60–श्री किरन पाल सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्री चरन सिंह पुत्र श्री मिश्री सिंह निवासी पसौरां, थाना अगौता जनपद बुलन्दशहर को 27 दिसम्बर, 1987 को पुलिस लाठीचार्ज में गम्भीर चोटें आयीं थीं ? क्या यह सही है कि उक्त श्री चरन सिंह का प्रशासनिक अधिकारियों तथा सत्ताधारी लोगों के प्रभाव के कारण अस्पताल में सही डाक्टरी मुआयना नहीं होने दिया गया तथा चोटों के स्थान पर पेट का दर्द लिखा गया ? क्या यह भी सही है कि चरन सिंह को 28 तारीख को जिला अस्पताल के इमरजेन्सी वार्ड से छुट्टी करके बाहर डाल दिया गया था तथा 29 तारीख को पुनः श्री चरन

सिंह को अस्पताल के बरामदे से उठवा कर उसके परिवार जनों के आग्रह पर फिर भर्ती कर लिया गया था तथा भर्ती करने के उपरांत ही श्री चरन सिंह की मृत्यु हो गयी थी ? क्या यह सही है कि परिवार वालों के बार-बार आग्रह करने पर भी श्री चरन सिंह की पोस्टमार्टम नहीं कराया गया जबकि प्रत्यक्षदर्शियों ने श्री चरन सिंह के सर, माथे, भौं इत्यादि अनेक अंगों पर गम्भीर चोटें देखीं थीं? यदि हां, तो उक्त घटना के बारे में दोषी लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी तथा मृतक गरीब परिवार को क्या आर्थिक सहायता दी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री गोपी नाथ दीक्षित–**

जी नहीं ।

प्राप्त सूचना के अनुसार पेट में दर्द होने के कारण मृतक श्री चरन सिंह उपचार हेतु जिला चिकित्सालय बुलन्दशहर में दिनांक 27-12-87 को 19.20 बजे दाखिल हुआ था जो अपनी निजी प्रार्थना के आधार पर अवमुक्त होकर दिनांक 28-12-87 की प्रातः को अस्पताल से चला गया था । पेशाब बन्द हो जाने के कारण मृतक दिनांक 28-12-87 को समय 19.45 बजे पुनः अस्पताल में दाखिल हुआ, जिसकी दिनांक 29-12-87 को समय 00.15 बजे मृत्यु हो गयी । मामला बीमारी का होने के कारण डाक्टरी परीक्षण तथा मृत्यु स्वाभाविक परिस्थितियों में होने के कारण शवोच्छेदन नहीं हुआ । इस घटना में किसी का कोई दोष होना नहीं पाया गया । अतः किसी के विरुद्ध कोई कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है। मृत्यु स्वाभाविक परिस्थिति में होने के कारण मृतक के परिवार को कोई आर्थिक सहायता उपलब्ध कराये जाने का कोई प्रश्न नहीं उठता है । प्रश्न में उल्लिखित शेष कथन सही नहीं है ।

## श्री होती राम यादव मौजा सकरौर, ग्राम-शिवदीन चौबेपुरवा, गोण्डा पर किया गया प्राणघातक हमला और पुलिस कार्यवाही

61–श्री राजिता प्रसाद यादव–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद गोण्डा थाना परसपुर मौजा सकरौर ग्राम-शिवदीन चौबे पुरवा के निवासी श्री होती राम पुत्र श्री सोहन लाल पर प्राण घातक हमला दिनांक 7-2-88 की रात्रि लगभग 12.00 बजे किया गया ? यदि हां, तो अपराधियों को पकड़ने के लिये पुलिस द्वारा क्या कार्यवाही की गई ? क्या सरकार इस संबंध में सम्पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखने की कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री गोपी नाथ दीक्षित–**

श्री होती राम यादव पुत्र सोहन लाल जनपद गोण्डा ने थाना परसपुर में सूचित किया कि विपक्षी दीनानाथ पुत्र राम लखन तिवारी, निरहू पुत्र सियाराम व नरायन दत्त ने उसे 6/7-2-88 की रात्रि में करीब 1 बजे जमीन सम्बन्धी रंजिश के कारण लाठी से मारा । वादी होतीराम की रिपोर्ट करने के समय उसके शरीर पर 3 कुन्द-आला की चोटें पाई गई जो सभी चोटें साधारण थी। केवल धारा-323 आई0 पी0 सी0 का अपराध बनता था जो पंजीकृत कराया गया। जर्म गैरदस्तानदाजी होने के कारण पुलिस द्वारा विवेचना नहीं की गई ।

**जनपद बलिया व देवरिया के पुलिस अधीक्षकों के कथित आरोप एवं तबादलों की मांग**

62—श्री शारदा नन्द अंचल—

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद बलिया व देवरिया के पुलिस अधीक्षक अपने बगल के जनपद के निवासी हैं जिससे उनके परिवार, गांव व इलाके के लोग उनके प्रशासनिक निर्णयों को प्रभावित कर अपराधियों को संरक्षण देकर जन-हित के विपरीत कार्य कर रहे हैं जो राजाज्ञा, दायित्व तथा लोकहित के विरुद्ध है ? यदि हां, तो क्या सरकार अविलम्ब दोनों पुलिस अधिकारियों को अन्यत्र राजाज्ञानुसार हटाकर सेवाएं लेने जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस अधीक्षक, बलिया का गृह जनपद आजमगढ़ व पुलिस अधीक्षक देवरिया का गृह जनपद बलिया है । उनके विरुद्ध प्रश्नगत आरोप सही नहीं पाये गये हैं । अतएवं किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है ।

**श्री सर्वेश कुमार हेल्थ सुपरवाइजर प्रा0 स्वा0 केन्द्र बरखेड़ा पीलीभीत के साथ घटित घटना के सम्बन्ध में सी0 आई0 डी0 द्वारा जांच**

63—श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री सर्वेश कुमार पाण्डेय हेल्थ सुपरवाइजर, प्रा0 स्वा0 केन्द्र बरखेड़ा पीलीभीत पर 11-11-86 को घटित घटना पर लगभग 8 माह बाद राज्य सरकार के आदेश से हरदोई पुलिस के नामजद अधिकारियों व जनरल मैनेजर शुगर मिल हरदोई के विरुद्ध थाना बरखेड़ा, पीलीभीत में 395 आई0 पी0 सी0 का मुकदमा 18-7-87 को कायम हुआ था ? यदि हां, तो उक्त नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

श्री सर्वेश कुमार पाण्डे, हेल्थ सुपरवाइजर, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बरखेड़ा, पीलीभीत के प्रश्नगत घटना से सम्बन्धित प्रार्थना-पत्र दि0 3-6-87 की फोटोस्टेट प्रति शासन के पत्र दि0 15-6-87 के साथ पुलिस अधीक्षक पीलीभीत को अभियोग पंजीकृत करने हेतु भेजी गई थी । प्राप्त सूचना के अनुसार श्री पाण्डे के प्रार्थना पत्र दि0 15-7-87 के आधार पर दिनांक 18-7-87 को कथित घटना के सम्बन्ध में थाना बरखेड़ा पर अपराध सं0 122/87 अन्तर्गत धारा 395 भा0 द0 वि0 पंजीकृत किया गया इस अभियोग एवं तत्सम्बन्धित घटनाओं की जांच अपराध शाखा, अपराध अनुसन्धान विभाग को सौंप दी गई है । शेष का प्रश्न नहीं उठता है ।

**प्रदेश में धारा 323 को तफतीश धारा बनाने विषयक प्रस्ताव की जानकारी की मांग**

64—श्री फसीउर्रहमान उर्फ मुन्नन खां—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में 323 की धारा को तफतीशी धारा बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री गोपी नाथ दीक्षित–**

धारा 323 भा0 द0 वि0 को तफतीश धारा में बदलने का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है ।

दण्ड प्रक्रिया संहिता में दिये गये प्राविधान के अनुसार धारा 323 भा0 द0 वि0 के अन्तर्गत घटित अपराध असंज्ञेय है और ऐसे मामलों में पुलिस विवेचना के लिए सक्षम नहीं है । धारा 323 के केवल ऐसे मामलों में जहां समाज के कमजोर वर्ग के लोग प्रताड़ित होते हैं, सम्बन्धित न्यायालयों से आदेश प्राप्त कर लेने के बाद मामले में विवेचना की जाती है ।

धारा 323 भा0 द0 वि0 के अपराध को यदि संज्ञेय अपराध की श्रेणी में परिवर्तित किया जाय, विवेचना योग्य अपराधों की संख्या में बहुत अधिक वृद्धि हो जायेगी जो गम्भीर अपराधों की विवेचना की गति में अवरोधक साबित होगा, अतः यह व्यावहारिक नहीं होगा ।

**श्री केदार पुत्र सिधुवा कोरी निवासी, करवी, बांदा की जमीन पर कथित अतिक्रमण**

65–श्री राम सजीवन–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जिले में करवी तहसील के ग्राम हरिहरपुर में केदार पुत्र सिधुवा कोरी (हरिजन) ने 6-2-88 को जिलाधिकारी बांदा को एक प्रार्थना पत्र भेजकर शिकायतें की हैं कि उसके मकान के सामने की जमीन पर एक सरकश व्यक्ति ने ग्राम समाज की जमीन पर जबरदस्ती अतिक्रमण कर लिया है तथा उसके पानी भरने के रास्ते निकास पर अवरोध खड़ा कर दिया है ? क्या उस संबंध में परगनाधिकारी करवी ने 20-1-88 को इंचार्ज पुलिस चौकी शिवरामपुर को हरिजन उत्पीड़न करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने के आदेश दिए थे ? यदि हां, तो उस संबंध में अभी तक प्रभावी कारवाई क्यों नहीं की गई? अतिक्रमण हटाकर अवरोध खत्म करने के लिए प्रभावी कारवाई कब तक की जायेगी?

**श्री गोपी नाथ दीक्षित–**

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रार्थी श्री केदार का संदर्भित प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ था जिसकी जांच वरिष्ठ पुलिस उपाधीक्षक कर्बी द्वारा स्वयं मौके पर जाकर की गयी ।

प्रश्नगत मामले में दिनांक 20-1-88 के परगनाधिकारी कर्बी के आदेश के क्रम में स्थानीय पुलिस द्वारा जांचोपरान्त दोनों पक्षों के विरुद्ध शान्ति व्यवस्था के हित में धारा 107/116 सी0 आर0 पी0 सी0 के अन्तर्गत पाबन्द रखने के लिये रिपोर्ट न्यायालय प्रेषित की गयी ।

जांच से ग्राम समाज की जमीन पर जबरदस्ती अतिक्रमण किये जाने की पुष्टि नहीं हुई अतः अतिक्रमण हटाकर प्रभावी कारवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

**प्रबंध निदेशक, राजकीय निर्माण निगम द्वारा निर्माण का कार्य प्राइवेट ठेकेदारों से कराये जाने संबंधी कथित आरोप**

66–श्री अर्जुन सिंह यादव–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि राजकीय निर्माण के वर्तमान प्रबंध निदेशक द्वारा कोई इस आशय का आदेश जनवरी, 1988 में जारी किया गया है कि निर्माण,

कार्य विभाग द्वारा न कराकर प्राइवेट ठेकेदारों द्वारा कराया जाए तथा निर्माण में प्रयुक्त होने वाली सामग्री की आपूर्ति में कमीशन की दर को दस प्रतिशत बढ़ा दिया जाय ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि निगम द्वारा वर्ष 1987 में कितने निर्माण कार्य प्रदेश में विभाग द्वारा कराये गए और कितने ठेकेदारों द्वारा कराए गए ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी यहीं ।

प्रश्न नहीं उठता !

निगम द्वारा वर्ष 1987 में प्रदेश में 254 कार्यों पर कराया गया । उक्त सभी कार्य, कार्य दरों पर कार्य करने वाले कार्मिकों से कराए गए जो निगम के कार्यकारी मैनुअल के अनुसार ठेकेदार नहीं हैं ।

67–श्री अर्जुन सिंह यादव तथा रमेश चन्द्र उर्फ रमेश यादव–

[8वें मंगलवार के लिए स्थगित]

**आयुक्त बिक्रीकर बनाम राम सिंह हठगनी बाबत दिये गये निर्णय बाबत प्रश्नकर्ता के पद पर की गई कार्यवाही की मांग**

68–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद पीठ ने सेल्स टैक्स रिवीजन संख्या 684/1986 वर्ष 76-77 आयुक्त बिक्री कर बनाम राम सिंह हठगनी में निर्णय दिनांक 10-4-87 को दिया है और इस संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 651 सचिव संस्थागत वित्त को ता0 20-11-87 मिला है ? यदि हां, तो क्या इस मामले में कोई जांच करायी गई ? यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम रहा ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

**माननीय सदस्य के पत्र का उत्तर अलग से दे दिया गया है ।**

**आयुक्त बिक्रीकर बनाम जगन्नाथ प्रवन कुमार के मामले में मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय के संबंध में प्रेषित पत्र पर प्रश्नकर्ता द्वारा जानकारी की मांग**

69–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि मा0 इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने निर्णय दिनांक 22-7-87 एस0 टी0 आर0 संख्या 767/1986 वर्ष 75-76 आयुक्त बिक्री कर बनाम जगन्नाथ प्रवन कुमार में दिया है ? क्या इस संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 652 सचिव संस्थागत वित्त को ता0 20-11-87 को मिला है ? यदि हां, तो पत्र में किन-किन बिन्दुओं पर जांच करायी गई है ? जांच का क्या परिणाम रहा ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

जी हां ।

पत्र का उत्तर माननीय विधायक को भेज दिया गया है ।

**आयुक्त बिक्रीकर बनाम रामसुमेर विजय नरायन के मामले में मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय पर प्रश्न कर्ता द्वारा दिये गये पत्र द्वारा जांच की मांग**

70—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद पीठ ने निर्णय दिनांक 15-5-87 सेल्स टैक्स रिवीजन सं0 895/1986 आयुक्त बिक्री कर बनाम राम सुमेर विजय नरायन वाराणसी में दिया है ? क्या इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 580, सचिव, संस्थागत वित्त का ता0 28-10-87 को मिला है ? यदि हां, तो पत्र की किन-किन बिन्दुओं पर जांच करायी गयी ? जांच का क्या परिणाम रहा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां।

जी हां।

पत्र का उत्तर मा0 सदस्य को दे दिया गया है।

**बिक्रीकर अधिकारी (डा0 ज्ञान प्रकाश) की वेतन वृद्धियां रोके जाने बाबत प्रश्नकर्ता के पत्र पर की गयी कार्यवाही की मांग**

71—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि एक बिक्री कर अधिकारी (डा0 ज्ञान प्रकाश) की पुराने मामलों में कई वर्षों की वेतन वृद्धियां रोकी गयी हैं ? क्या इस संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 649 सचिव संस्थागत वित्त को ता0 20-11-87 को मिला है ? यदि हां, तो पत्र पर क्या-क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां, 5 वार्षिक वेतन वृद्धियां रोकी गयी है।

जी हां, संदर्भित पत्र में इंगित 6 बिन्दुओं पर वांछित सूचना संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 59 पर)

**मकान नं0 12/477 गैकरावैरगंज, कानपुर के कब्जे का मामला न्यायालय में विचाराधीन**

72—श्री मनोहर लाल—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मकान नं0 12/477 गैकरावैर गंज, कानपुर जिसमें सी0 आई0 डी0 व एल0 आई0 यू0 के कार्यालय हैं, को 10 जुलाई, 87 तक खाली कराने के सरकारी आदेश थे ? क्या यह सच है कि उपरोक्त मकान सन् 1902 में लीज पर दिया गया था, जिसे 62 साल बीत जाने पर भी रिनीवल नहीं कराया गया ? क्या यह भी सही है कि सन् 86-87 में अवैधानिक ढंग से 13 लाख रुपये देकर लीज का रिनीवल कर दिया गया है ? सरकार द्वारा इस भूखण्ड पर पुलिस विभाग के कार्यालय भवन न बनाये जाने का क्या कारण है ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

जी नहीं. मकान संख्या 12/477 गैकरावैरगंज, कानपुर नगर, जिसमें एल0 आई0 यू0 का कार्यालय है, को दिनांक 10 जुलाई, 1987 तक खाली कराने के सरकारी आदेश नहीं थे । प्रश्नगत मकान का नहीं बल्कि इसकी भूमि, जो नजूल की है, की लीज वर्ष 1902 में स्वीकृत की गयी थी जिसका द्वितीय नवीनीकरण वर्ष 1962 में नहीं कराया गया ।

जी नहीं, सन् 1986-87 में अवैधानिक ढंग से 13 लाख रु0 देकर लीज का नवीनीकरण नहीं किया गया था । वास्तविक स्थिति यह है कि शासन के नजूल अनुभाग के शासनादेश संख्या 277/9नजूल-492 एन/84, दिनांक 28-2-87 द्वारा नियमानुसार एक नया पट्टा स्वीकृत किया गया था किन्तु पश्चात में उक्त अनुभाग के शासनादेश संख्या एम0 एन0 7/9 नजूल-88-492एन/84, दिनांक 22-2-88 द्वारा प्रश्नगत पट्टे के आदेश को निरस्त कर दिया गया है ।

विगत वर्षों में प्रश्नगत भूखण्ड पर कब्जे का मामला न्यायालयों में लम्बित रहा है इसलिए पुलिस विभाग के कार्यालय भवन बनाने के विषय में कोई कार्यवाही करना सम्भव नहीं हो पाया ।

**श्री भारत लाल निवासी, वाराणसी के अपहरण का मामला न्यायालय में विचाराधीन**

73–श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि खोजवा, नई बाजार, वाराणसी निवासी श्रीमती ऊषा देवी पत्नी श्री भारत लाल का पत्र दिनांक 20-6-68 जो कि उनके पति के अपहरण कर लेने के संबंध में है, मुख्य मंत्री जी को मिला है ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

जी हां । प्राप्त सूचनानुसार श्रीमती ऊषा देवी निवासिनी, खोजवा, नई बाजार, वाराणसी के देवर श्री शत्रुघन लाल के प्रार्थना पत्र पर थाना भेलूपुर में एक अभियोग अन्तर्गत धारा–302/201 भा0दं0वि0 पंजीकृत कर विवेचनोपरान्त प्रकाश में आए दो अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है ।

74–श्री राम सागर राव–

[8वें सोमवार में अता0 प्र0 सं0 33 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

**जनपद गोण्डा के मौजापुर रेलवे स्टेशन के समीप गन्ना मिल बनाने की कथित योजना**

75–श्री फसीउर्रहमान उर्फ मुन्नन खां–

क्या गन्ना मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के मौजापुर रेलवे स्टेशन के पास कोई गन्ना मिल बनाने की योजना हेतु जमीन की नाप-जोख वर्ष 1983-84 में कराई गई थी ? यदि हां, तो उस योजना में अब तक क्या प्रगति हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं ।

शेष का प्रश्न ही नहीं उठता ।

**श्री विजय प्रताप सिंह मोहल्ला पहलवारा तहसील बलरामपुर, गोण्डा को नियमानुसार बन्दूक लाइसेन्स जारी**

76–श्री फसीउर्रहमान उर्फ मुन्नन खां–

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस रिपोर्ट के विपरीत अमर नाथ सिंह जिला अधिकारी गोण्डा ने वर्ष 1986-87 में विजय प्रताप सिंह पुत्र राम गोपाल सिंह, मोहल्ला पहलवारा परगना व तहसील-बलरामपुर का बन्दूक का लाइसेन्स प्रदान कर दिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार लाइसेन्स निरस्त करने का कष्ट करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री विजय प्रताप सिंह ने अपने मृतक पिता की बन्दूक प्राप्त करने हेतु वरासत के आधार पर बन्दूक के लाइसेन्स हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया था जिस पर पुलिस अधीक्षक गोण्डा की संस्तुति प्राप्त होने पर लाइसेन्स जारी किया गया ।

**श्री लवकुश त्रिपाठी निवर्तमान प्रधान प्रबन्धक सम्पूर्णानन्द चीनी मिल, लखीमपुर खीरी के विरुद्ध शिकायतों की जांच**

77–श्री बालेश्वर–

क्या चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि निवर्तमान प्रधान प्रबन्धक, सहकारी चीनी मिल, सम्पूर्णानन्द जनपद–लखीमपुर खीरी श्री लवकुश त्रिपाठी के विरुद्ध अब तक के कार्यकाल में अनेकों गम्भीर आरोप होने के बावजूद भी सहकारी चीनी मिल, पुवायां जनपद–शाहजहांपुर के प्रधान प्रबन्धक जैसे महत्वपूर्ण पद पर ही तैनात किये जाने का क्या कारण है ? क्या शासन मिलहित व जनहित में श्री त्रिपाठी को तत्काल मूल विभाग में वापस कर उनके विरुद्ध लम्बित शिकायतों की जांच कर दण्डित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

श्री लवकुश त्रिपाठी निवर्तमान प्रधान प्रबन्धक सम्पूर्णानगर चीनी मिल के विरुद्ध कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिनके विषय में जांच कराई जा रही है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

78–श्री अर्जुन सिंह यादव–

[8वें मंगलवार के लिए स्थगित]

**जनपद फर्रुखाबाद के विकास खण्ड सौरिख के मुख्यालय पर बने क्वाटरों को ग्राम विकास विभाग को हस्तान्तरित करने के संबंध में जानकारी की मांग**

79–श्री सन्तोष चतुर्वेदी एडवोकेट–

क्या सा0 नि0 मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1971-72 में जनपद फर्रुखाबाद के विकास खण्ड सौरिख के मुख्यालय पर खण्ड विकास अधिकारी टाइप भवन 1 सहायक विकास अधिकारी टाइप भवन 3 लिपिक वर्गीय टाइप भवन 1, चतुर्थ श्रेणी टाइप भवन 1 जीप गैराज टाइप भवन 1 का निर्माण सा0 नि0 विभाग फर्रुखाबाद द्वारा प्रारम्भ कराया गया था ? यदि हां, तो शासन का उक्त निर्माण में कितना धन व्यय हुआ ?

क्या उक्त भवन सा0 नि0 विभाग फर्रुखाबाद द्वारा ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरित कर दिये गए ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां, प्रश्नगत निर्माण वर्ष 1968-69 में प्रारम्भ किया गया था ।

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सूचना एकत्र की जा रही है ।

**जनपद एटा की काली नदी पर पुल निर्माण में कथित भ्रष्टाचार संबंधी शिकायती पत्र पर जांच की मांग**

80–श्री वीरेन्द्र सिंह (एटा)–

क्या मुख्य मंत्री को प्रश्नकर्ता का एक शिकायती पत्र दिनांक 18-7-86 जो कि जनपद एटा की काली नदी के आंन घाट पर निर्मित पुल में भ्रष्टाचार के संबंध में है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो जांच के तथ्यों को माननीय मुख्य मंत्री जी सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

**भू0 पू0 सूबेदार मेजर श्री प्रभाकर पाठक निवासी–ग्राम विंवार द्वारा थाना मौदहा, हमीरपुर में दर्ज कराई गई रिपोर्ट का अभियोग पत्र न्यायालय प्रेषित**

81–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि भू0 पू0 सूबेदार मेजर श्री प्रभाकर पाठक निवासी ग्राम विंवार द्वारा थाना मौदहा हमीरपुर में दिनांक 22-7-86 को मु0 अ0 नं0 158/86 धारा 498 एवं 302 में अपराध पंजीकृत कराया गया था ? यदि हां, तो क्या प्रथम सूचना में नामजद सभी अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

जी हां । प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 22-7-86 को श्री प्रभाकर पाठक द्वारा उनकी पुत्री श्रीमती संतोष कुमारी की उसके ससुराल वालों द्वारा जलाकर कथित हत्या के संबंध में उसके पति, सास व ननद के विरुद्ध थाना मौदहा में अपराध संख्या 158/86 धारा 498ए/302 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत कराया । विवेचनोपरान्त अभियुक्त देवकीनन्दन (मृतिका का पति एवं श्रीमती बेटी बाई) (मृतिका की सास) के विरुद्ध उक्त धाराओं में आरोप पत्र दिनांक 3-9-86 को न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है । मृतिका की ननद की नामजदगी प्रथम सूचना में गलत पायी गयी अतः उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई । अभियोग न्यायालय के विचाराधीन है ।

**राजकीय चीनी निगम के सिहोरी नन्दगंज, गाजीपुर चीनी मिल के गन्ना आपूर्ति संबंधी फर्जी पर्चियों पर कार्यवाही**

82—श्री सूर्य प्रताप शाही—

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 राजकीय चीनी निगम के सिहोरी नन्दगंज, गाजीपुर चीनी मिल के गन्ना आपूर्ति संबंधी फर्जी डुप्लीकेट पर्चियां दिसम्बर, 87 व जनवरी, 88 में सादात क्रय केन्द्र पर पकड़ी गयी ? क्या यह सही है कि उन फर्जी पर्चियों के आधार पर गन्ने मूल्य के 20 हजार रुपये भुगतान कर दिये गये और वास्तविक गन्ना किसानों को उसका मूल्य प्राप्त नहीं हो सका ? क्या इस प्रकरण की जांच करायी गयी ? यदि हां, तो इसके तथ्य क्या हैं और उसमें कौन दोषी है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

उ0 प्र0 राज्य चीनी निगम लि0, इकाई-नन्दगंज, सिहोरी, जनपद-गाजीपुर के सुरक्षित क्रय केन्द्र सादात पर माह जनवरी 88 में दो फर्जी पर्चियां गन्ना आपूर्ति संबंधी पकड़ी गयी । इन फर्जी पर्चियों के आधार पर गन्ने का मूल्य रु0 1,495.52 का गलत भुगतान हुआ किन्तु वास्तविक गन्ना किसान श्री रामा पुत्र राजधारी ग्राम-मिर्जापुर को भी उसके गन्ना मूल्य का भुगतान करा दिया गया है ।

जी हां । चीनी मिल के अधिशासी निदेशक, द्वारा जांच कराई गई । श्री सुरेश सिंह यादव, गन्ना तौल लिपिक/भुगतान लिपिक तथा बंश बहादुर सिंह, गन्ना विकास लिपिक/टैली लिपिक को दोषी पाये जाने पर उन्हें अन्तिम जांच पूर्ण होने तक के लिए निलंबित करते हुए उपरोक्त रु0 1,495.52 की कटौती की गई है तथा मामले की पुलिस जांच हेतु भी एफ0आई0आर0 दर्ज करायी गयी है ।

**श्री कदम सिंह, दैनिक मजदूर किसान सहकारी चीनी मिल, अनूपशहर, बुलन्दशहर की दुर्घटना में हुई मृत्यु के मामले में कार्यवाही**

83—श्री किरन पाल सिंह—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माह अक्तूबर, 1987 के मध्य में शहर कोतवाली, बुलन्दशहर में गोपाल पुत्र कदम सिंह की हत्या के सम्बन्ध में कोई मुकदमा दर्ज कराया गया ? यदि हां, तो उक्त सम्बन्ध में अब तक कोई कार्यवाही न किये जाने का क्या कारण है ? हत्यारों के विरुद्ध कार्यवाही न करने वाले अपराधी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 17-10-87 को श्री कदम सिंह पुत्र भूरे सिंह निवासी खिदराबाद, थाना जहांगीराबाद, जनपद बुलन्दशहर द्वारा थाना कोतवाली नगर, बुलन्दशहर पर एक इस आशय का लिखित प्रार्थना-पत्र दिया गया कि वादी का पुत्र कदम सिंह किसान सहकारी चीनी मिल, अनूपशहर में दैनिक मजदूर के रूप में मजदूरी करता था । दिनांक 15-10-87 को उसके पुत्र कदम सिंह को दो अन्य मजदूरों के साथ मिल का कचरा गैस आदि की सफाई में लगाया गया था,

जिसकी उसे कोई जानकारी नहीं थी । उस गैस से प्रभावित होकर उसका लड़का अस्पताल पहुंचा जहां उसकी मृत्यु हो गयी । वादी ने मिल के प्रधान प्रबन्धक व मुख्य अभियन्ता के विरुद्ध कार्यवाही करने की मांग की । मामला थाना जहांगीराबाद से संबंधित होने के कारण इस घटना के संबंध में थाना जहांगीराबाद पर एक अभियोग के अन्तर्गत धारा 304 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत करके विवेचना प्रारम्भ हुई । विवेचना के दौरान मिल के किसी अधिकारी/कर्मचारी की गलती या लापरवाही नहीं पायी गयी । मामला मात्र दुर्घटना का पाये जाने के कारण विवेचना अन्तिम रिपोर्ट द्वारा समाप्त कर दी गयी । शेष का प्रश्न नहीं उठता है।

**राजकीय चीनी मिल, बुलन्दशहर स्थित सीजनल/परमानेन्ट कर्मचारी की मृत्यु के बाद उनके पुत्र को नौकरी दिये जाने की मांग**

84—श्री किरन पाल सिंह—

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय चीनी मिलों की बुलन्दशहर स्थित चीनी मिल के सीजनल/परमानेन्ट कर्मचारी श्री जंग बहादुर का 29-1-86 को उनकी सेवा काल में स्वर्गवास हो गया था ? यदि हां, तो शासनादेश के तहत उनके पुत्र श्री सुभाष कुमार सक्सेना को उक्त मिल में उनकी योग्यतानुसार कोई नौकरी दे दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? चीनी निगम का कोई अलग शासनादेश है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

जी नहीं ।

चीनी उद्योग पर लागू शासनादेश की परिधि में नहीं आते हैं।

जी नहीं ।

85—श्री सन्तोष चतुर्वेदी एडवोकेट—

[8वें मंगलवार के लिए स्थगित]

**राज्य में किन-किन स्तर के लोगों को प्रोटोकाल के लिहाज से कैबिनेट/राज्य अथवा उपमंत्री के समकक्ष दर्जा दिये जाने के विवरण की मांग**

86—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या प्रोटोकाल विभाग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य में मंत्रिमण्डल के सदस्यों के अतिरिक्त किन-किन व्यक्तियों को, प्रोटोकाल के लिहाज से, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री अथवा उप मंत्री के समकक्ष दर्जा शासन द्वारा दिया गया है ?

आबकारी राज्य मंत्री (श्री राम नाथ मुंशी)—

सूचना एकत्र की जा रही है।

**बरेली जिले में उल्लिखित वर्षों की वार्षिक योजना में निर्धारित परिव्यय का विवरण**

87—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या नियोजन मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बरेली जिला की वर्ष 1984-85, 1985-86, 1986-87 तथा 1987-88 की वार्षिक योजना हेतु कितना-कितना परिव्यय निर्धारित हुआ था ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

विकेन्द्रित नियोजन प्रणाली के अन्तर्गत बरेली जनपद को जिला योजना हेतु 1984-85, 1985-86, 1986-87 तथा 1987-88 हेतु क्रमशः 553.10, 616.06, 720.69 तथा 818.80 लाख रुपये का परिव्यय आवंटित किया गया है।

**गन्ना सहकारी समिति, घुघली, गोरखपुर के चेयरमैन द्वारा कैलेण्डर में पारित आदेश के अनुसार फर्जी पट्टे रोकने का अधिकार**

88–श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि श्री विभूति पुत्र श्री रोमी गांव चैनपुर गन्ना सहकारी समिति, घुघली–गोरखपुर ने एक पत्र शासन एवं विभागीय अधिकारियों को इस आशय का लिखा है कि समिति के कैलेण्डर में उनके नाम के सामने समिति के चेयरमैन ने पर्ची बन्द करने के लिए लिखा है जिससे श्री विभूती को पर्ची गत 25-12-87 से नहीं मिल रही है ? यदि हां, तो क्या चेयरमैन गन्ना समिति को कैलेण्डर में कोई आदेश पारित कर लिखने का अधिकार है ? यदि नहीं, तो पद का दुरुपयोग कर समिति एवं समिति के सदस्य को क्षति पहुंचाने वाले चेयरमैन के विरुद्ध कोई कार्यवाही न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां।

समिति के चेयरमैन को उ0 प्र0 सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की धारा–30 में समिति के प्रतिमान उप विधि संख्या–65(1) में पूर्ण अधिकार प्रदत्त है जिसके अन्तर्गत श्री विभूति के फर्जी सट्टे को रोकने का आदेश पारित किया गया है। अतः समिति के चेयरमैन के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है।

**केन मैनेजर उ0 प्र0 रा0 चीनी निगम छितौनी, जनपद देवरिया द्वारा की गयी अनियमितताओं के संबंध में जांच**

89–श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता ने एक पत्र दिनांक 1-9-1987 को (कैलाश प्रसाद) केन मैनेजर उ0 प्र0 रा0 चीनी निगम, छितौनी, जनपद देवरिया के द्वारा की गयी अनियमितताओं के सम्बन्ध में दिया था ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरबहादुर सिंह–

जी हां।

जांच की जा रही है। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

**गन्ना सहकारी समिति, घुघली, गोरखपुर के भूतपूर्व अध्यक्ष के खिलाफ कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच**

90—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गन्ना सहकारी समिति के पूर्व अध्यक्ष श्री शिवजपत सिंह ने अपने कार्यकाल में समिति के भूतपूर्व चेयरमैन (श्री रघुवंश उपाध्याय) के विरुद्ध पद के दुरुपयोग एवं वित्तीय अनियमितताओं की जांच कराई थी ? क्या यह सत्य है कि जांच में सभी आरोप सत्य पाये गये थे? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट के आधार पर अब तक उनके विरुद्ध कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण हैं और कार्यवाही कब तक की जायेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

ऐसा कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है जिससे इस बात की पुष्टि हो सके कि सहकारी गन्ना समिति, घुघली के अध्यक्ष श्री शिवजपत सिंह द्वारा अपने कार्यकाल में भूतपूर्व चेयरमैन श्री रघुवंश उपाध्याय के विरुद्ध पद के दुरुपयोग एवं वित्तीय अनियमितताओं की जांच कराई गई थी । इस सम्बन्ध में फिर भी छानबीन की जा रही है । वर्णित स्थिति में अन्य कोई कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

**बस्ती जिले के लोटन पुलिस चौकी को थाना के रूप में परिवर्तित किये जाने की मांग**

91—श्री धनराज यादव—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले के अन्तर्गत लोटन स्वतंत्रता के पूर्व पुलिस स्टेशन (थाना) था जो इस समय मात्र पुलिस चौकी है, जिसे पुनः थाना बनाने के लिए प्रश्नकर्ता ने तत्कालीन गृह सचिव श्री माता प्रसाद को पत्र लिखा है? यदि हां, तो लोटन को पुनः थाना के रूप में कब तक परिवर्तित किया जायेगा ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि बस्ती जिले के अलीगढ़वा थाना खोलने एवं नेपाल सीमावर्ती चौकी खुनवा, वजहा, अलीगढ़वा, ककरहवा हरिवंशपुर के स्तर को ऊंचा करके पुलिसजन की संख्या बढ़ायी जायेगी ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

बस्ती जिले के अन्तर्गत थाना लोटन तथा अलीगढ़वा की स्थापना की स्वीकृति शासनादेश दिनांक 31-7-87 द्वारा प्रदान की जा चुकी है। भारत नेपाल सीमा पर पुलिस व्यवस्था को सुदृढ़ किये जाने के प्रस्ताव के द्वितीय चरण में, बस्ती जनपद में कुछ रिपोर्टिंग चौकियां खोली जानी हैं जिनमें खनुवा, वजहा, ककरहवा और हरवंशपुर के नाम शामिल हैं । उक्त चौकियों के साथ वांछित स्टाफ की स्वीकृति भी दी जायगी ।

**प्रदेश के लगभग सभी जनपदों में सूचना केन्द्र की स्थापना**

92—श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

क्या सूचना मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में किन-किन जिलों में नये सूचना केन्द्र खोलने का प्रस्ताव था ? क्या उन्हें अब तक खोला गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती दीपा–

कानपुर देहात जनपद को छोड़कर प्रदेश की समस्त जनपदों में जिला सूचना केन्द्र पूर्व से ही स्थापित हैं। नये सूचना केन्द्र खोलने का वर्ष 1987-88 के बजट में कोई प्राविधान नहीं है।

93–श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

[दिनांक 6-7-87 को अता0 प्र0 सं0 69 द्वारा उत्तरित]

**देवरिया जनपद के कतिपय मार्गों के निर्माण में कथित अनियमितता सम्बन्धी शिकायती पत्र पर जांच**

94–श्रीमती शारदा देवी–

क्या सा0 नि0 मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जनपद के इन्द्रपुर लवकनी विरवा मार्ग, हौतिमपुर महुवाडीह मार्ग, बरहज बाईपास में मार्ग तथा भाप मझौली मार्ग पर 1984-85 एवं 85-86 में प्रान्तीय खण्ड सा0 नि0 देवरिया द्वारा अति-दग्ध ईंटों की मिट्टी व कुटवल पत्थर की मिट्टी से मध्य व छपरी सतह की कुटाई का कार्य किया गया? क्या इस कार्य में ईंट व पत्थर की मिट्टी की सप्लाई नार्म से 25 प्रतिशत कम की गयी? उपरोक्त मार्गों पर ईंटों की मिट्टी एवं पत्थर की मिट्टी की कुटाई के बाद कुल मोटाई क्या है ? क्या यह सत्य है कि मौके पर क्रस्ट की मोटाई सरकारी कागजात में दर्शायी गयी मोटाई से कम है ? यदि हां, तो क्या जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

इसकी जांच कराई जा रही है।

95–श्री यदुनाथ सिंह–

[8वें मंगलवार के लिए स्थगित]

**प्रबन्ध निदेशक, राजकीय निर्माण निगम को सा0 नि0 विभाग के आवास का कथित आवंटन**

96–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रबन्ध निदेशक, राजकीय निर्माण निगम, श्री एस0 पी0 गोयल को सा0 नि0 विभाग का आवास क्यों आवंटित किया गया है ? जबकि विभागीय आवंटन नियमावली में यह प्राविधान है कि अपना निजी आवास रखने वाले व्यक्तियों को सरकारी आवास आवंटित नहीं किया जायेगा ? यदि हां, तो आवास आवंटन आदेश निरस्त किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

श्री एस0 पी0 गोयल को प्रबन्ध निदेशक राजकीय निर्माण निगम की हैसियत से सार्वजनिक निर्माण विभाग का कोई विभागीय आवास आवंटित नहीं किया गया। प्रश्न का शेष भाग नहीं उठता ।

**प्रबन्ध निदेशक, राजकीय निर्माण निगम के विरुद्ध कथित जांच**

97—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रबन्ध निदेशक, राजकीय निर्माण निगम (मुख्य अभियन्ता, सा0 नि0 वि0) श्री एस0 पी0 गोयल के विरुद्ध भ्रष्टाचार सम्बन्धी कितनी शिकायतों की जांच सतर्कता विभाग द्वारा की जा रही है ? यह जांच कब से चल रही और कब तक पूर्ण हो जायेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

तत्कालीन प्रबन्ध निदेशक, राजकीय निर्माण निगम (प्रमुख अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग) श्री एस0 पी0 गोयल के नाम से वर्तमान समय में सतर्कता विभाग द्वारा कोई जांच नहीं की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता ।

**सार्वजनिक निर्माण विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय के आशुलिपिकों का वेतनमान परीक्षणाधीन**

98—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा के प्रथम सत्र 1986 के तीसरे मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या—34 के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 9-10-86 जो सार्वजनिक निर्माण विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यरत आशुलिपिकों को वेतनमान 570—1100 तथा 515—860 वेतन आयोग की सिफारिशों आदि को लागू करने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

प्रकरण अभी परीक्षणाधीन है।

99—श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी—

[6वें शुक्रवार के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

**जिला गोरखपुर के थाना नौतनवां में श्री कृष्णधर दुबे द्वारा दर्ज करायी एफ0 आई0 आर0 पर की गई कार्यवाही**

100—श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 14-1-87 को थाना नौतनवां, जिला गोरखपुर में श्री कृष्णधर दुबे द्वारा कोई एफ0 आई0 आर0 दर्ज है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई क्या श्री कृष्णधर द्विवेदी के जान माल की सुरक्षा और उनकी फसल आदि की सुरक्षा का कोई प्रबन्ध हुआ है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

जी हां ।

श्री कृष्णधर दुबे की प्रार्थना पर सी0 जे0 एम0 गोरखपुर के आदेशानुसार थाना नौतनवां पर दिनांक 14-1-87 को मु0 अ0 सं0 17/87 धारा 147/148/325/

323/342/504/506 भा0 दं0 वि0 प्रेम शंकर पाठक व अन्य 9 व्यक्तियों के विरुद्ध कायम किया गया । विवेचना से प्रेम शंकर, विपिन, सतीश पुत्रगण रमाशंकर पाठक व विजय नरायन पाठक पुत्र बद्री नरायन पाठक सा0 बकौनिया, थाना नौतनवां, गोरखपुर के विरुद्ध धारा 325/323/504/506 भा0 दं0 वि0 का अपराध पाया गया । इन चारों अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र संख्या–27 दिनांक 25-2-87 को न्यायालय को प्रेषित किया गया जो विचाराधीन न्यायालय है । साथ ही नामजद अभियुक्त प्रेम शंकर के पिता रमाशंकर के नाम बन्दूक के लाइसेन्स के निरस्तीकरण हेतु कार्यवाही की जा रही है । श्री कृष्णधर दुबे की फसल की सुरक्षा के लिए पुलिस की मदद दी गई थी ।

**फैजाबाद के थाना जैतपुर के ग्राम शाहपुर में पड़ी डकैती के सम्बन्ध में जांच कार्यवाही**

101–श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद जिले के थाना जैतपुर के ग्राम शाहपुर में 22 मार्च, 85 को हुई डकैती की कोई एफ0 आई0 आर0 जैतपुर थाने में दर्ज है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही हुई ? क्या यह मामला आवश्यक जांच के लिए सी0 आई0 डी0 को सौंप दिया गया है ? यदि हां, तो उसकी क्या प्रगति है?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

जी हां ।

इस संबंध में दर्ज मु0 अ0 सं0 44/85 धारा 395/397 भा0 दं0 वि0 की विवेचना अपराध अनुसंधान विभाग से कराई गई । अपराध शाखा द्वारा स्थानीय पुलिस के विवेचक द्वारा की गई विवेचना त्रुटिपूर्ण पाई गई । उपनिरीक्षकगण श्री दीनानाथ तिवारी, श्री कन्हैया लाल पाण्डेय दोषी पाये गये जिनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की संस्तुति की गई । उप निरीक्षक कन्हैयालाल पाण्डे के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के पश्चात् उनकी चरित्र पंजिका में एक दुश्चरित्र लेख भी अंकित किया जा चुका है । अन्य उप निरीक्षक श्री दीनानाथ तिवारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है।

इस डकैती में 11 (ग्यारह) डकैत प्रकाश में आये थे, जिनमें से आठ डकैतों को पुलिस द्वारा बन्दी बनाकर जेल भेजा गया था, दो डकैत न्यायालय में आत्म-समर्पण किये थे तथा एक डकैत के विरुद्ध 82/83 द0 प्र0 सं0 की कार्यवाही की गयी थी । बन्दी बनाये गये डकैत व न्यायालय में आत्मसमर्पण किये डकैतों की किसी भी गवाह ने शिनाख्त नहीं की, फलस्वरूप 10 डकैत धारा 169 द0 प्र0 सं0 के अन्तर्गत छूट गये तथा एक डकैत हलीम पुत्र सतई नट निवासी ग्राम मठिया पोरबहा, थाना जैतपुर, जनपद फैजाबाद जिसके कब्जे से डकैती का माल बरामद हुआ था तथा वादी व गवाहान ने सही शिनाख्त किया था, का चालान धारा 412 भा0 द0 वि0 में न्यायालय किया गया है ।

102–श्री मनोहर लाल–

[राज्य सरकार से असम्बद्ध होने के कारण निरस्त]

**सहायक निबन्धक, फर्म्स सोसाइटीज एण्ड चिट्स, गोरखपुर द्वारा कथित धांधली व भ्रष्टाचार संबंधी शिकायती पत्र**

103—श्री राज किशोर सिंह—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें सहायक निबन्धक, फर्म्स सोसाइटीज एण्ड चिट्स, गोरखपुर की धांधली व भ्रष्टाचार के विरुद्ध प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 26-12-85 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता है।

**प्रधान मंत्री के वाराणसी आगमन पर हुए खर्च के विवरण**

104—श्री राज किशोर सिंह—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गंगा सफाई अभियान के सिलसिले में दिनांक 14 जून, 86 को भारत के प्रधान मंत्री के वाराणसी आगमन की तैयारी व उसके सम्बन्ध में किये गये कार्यों आदि के सम्बन्ध में कुल कितनी धनराशि राज्य सरकार द्वारा व्यय हुई ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

दिनांक 14 जून, 1986 को भारत के प्रधान मंत्री के वाराणसी आगमन की तैयारी व उसके सम्बन्ध में किये गये कार्यों आदि के सम्बन्ध में अब तक राज्य सरकार द्वारा कुल रु0 11,57,130.80 पैसे (ग्यारह लाख सत्तावन हजार एक सौ तीस रुपये एवं अस्सी पैसे) का व्यय हुआ है।

**सूखा राहत तथा अन्य योजना के अन्तर्गत लखनऊ जनपद में कार्य न होने का औचित्य**

105—श्री शारदा प्रताप—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 7 जनवरी, 1988 जो सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा वर्ष 1987-88 में सूखा राहत के अन्तर्गत लखनऊ जनपद को 75 लाख रु0 ग्रामीण मजदूरों को रोजगार देने हेतु सड़क निर्माण एवं उनकी पटरियों के किनारे मिट्टी के कार्य हेतु दिया गया था और उक्त धनराशि से राज्य स्तरीय एवं मुख्य जिला मार्गों के साथ-साथ लखनऊ जनपद के स्थानीय मार्गों (पटरियों) की भी निर्मित कराये जाने के संबंध में था, प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो कौन-कौन से छोटे एवं स्थानीय मार्गों के किनारे मिट्टी का कार्य कराया गया तथा कितने अन्य मार्गों पर मिट्टी का कार्य कराये जाने का विचार है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं । वर्णित विषय पर माननीय सदस्य महोदय का एक अन्य पत्र दिनांक 22 जनवरी, 1988 प्राप्त हुआ है ।

प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत प्राप्त सीमित धनराशि के कारण किसी भी छोटे एवं स्थानीय मार्गों के किनारे मिट्टी का कार्य नहीं कराया जा सका ।

**गोरखपुर स्थित मदन मोहन मालवीय इन्जीनियरिंग कालेज के कर्मचारियों के सेवा संबंधी मामले पर शासन द्वारा हस्तक्षेप**

106—श्री सूर्य प्रताप शाही—

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर स्थित मदन मोहन मालवीय इन्जीनियरिंग कालेज जिसका प्रबन्ध तन्त्र सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत है जिसका कार्यालय गोरखपुर में ही स्थित है, पर क्या किसी प्रकार का सरकार का नियंत्रण है ? यदि हां, तो क्या शासन वहां के कर्मचारियों के सेवा संबंधी विवादों का निपटारा भी अपने स्तर से करती है ? यदि नहीं, तो किन परिस्थितियों में उक्त संस्था के (श्री रामशरण दुबे) सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष की सेवा संबंधी पत्रावली एवं उनके अपील की पत्रावली पर अनुसचिव तथा विशेष सचिव तकनीकी शिक्षा ने फरवरी 1980 से 8-8-80 के बीच अपनी टिप्पणी तथा आदेश पारित किए ? क्या इस सन्दर्भ में मुख्य मंत्री को 1-10-80 को आदेश पारित करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त था ? यदि नहीं, तो उक्त आदेश किन परिस्थितियों में पारित किए गए और उसकी वैधानिकता क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मदन मोहन मालवीय इन्जीनियरिंग कालेज, गोरखपुर का प्रबन्ध तंत्र सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत है जिसका कार्यालय गोरखपुर में ही स्थित है। इस पर सरकार का कोई सीधा नियंत्रण नहीं है।

विद्यालय कर्मचारियों के सेवा संबंधी विवादों का निपटारा विद्यालय के प्रबन्ध तंत्र की प्रशासकीय परिषद् के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। समिति के नियमानुसार उसके अध्यक्ष प्रदेश के मुख्य मंत्री अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति होता है। विद्यालय के प्राचार्य, परिषद् के पदेन सचिव हैं।

जो मामले अध्यक्ष को प्रस्तुत किए जाने होते हैं उन्हें पदेन सचिव, अध्यक्ष को आवश्यकतानुसार प्राविधिक शिक्षा विभाग के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं ताकि वहां से विद्यालय नियमों/सरकारी नियमों को दृष्टिगत रखते हुए संबंधित प्रकरणों में टिप्पणियां अध्यक्ष महोदय के विचारार्थ प्रस्तुत की जा सके। उपरोक्तानुसार ही श्री राम दरस दूबे की अपील के प्रकरण में पत्रावली में अनुसचिव तथा विशेष सचिव तकनीकी शिक्षा ने अध्यक्ष के विचारार्थ टिप्पणी अंकित की, (उल्लेखनीय है कि श्री राम शरण दूबे नाम का कोई कर्मचारी विद्यालय में सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष के पद पर नियुक्त नहीं है बल्कि श्री राम दरश दूबे विद्यालय में कनिष्ठ पुस्तकालय सहायक (जूनियर लाइब्रेरी असिस्टेन्ट) के पद पर कार्यरत थे।) श्री दूबे के प्रत्यावेदन के संबंध में अध्यक्ष ने समय-समय पर विद्यालय के प्रधानाचार्य एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की आख्या को दृष्टिगत रखते हुए आदेश पारित किया।

विद्यालय की सोसाइटी के नियम 4(1) के अन्तर्गत गठित प्रशासकीय परिषद् का अध्यक्ष, मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश अथवा उनके द्वारा नामित कोई व्यक्ति होता है। प्रश्नगत अवधि में मुख्य मंत्री, प्रशासकीय परिषद् के अध्यक्ष थे। दिनांक 1-10-80 को मुख्य मंत्री द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया गया बल्कि दिनांक 17-10-80 को अध्यक्ष, प्रशासकीय परिषद् के रूप में तत्कालीन मुख्य मंत्री द्वारा आदेश पारित किया गया। अध्यक्ष, प्रशासकीय परिषद् की हैसियत से दिनांक 17-10-80 को किया गया आदेश पूर्णतया क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत है।

**इन्स्टीट्यूट आफ इन्जीनियरिंग, टेक्नोलोजी, लखनऊ के विरुद्ध कथित वित्तीय अनियमितता का आरोप**

107—श्री अशोक बाजपेयी—

क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इन्स्टीट्यूट आफ इन्जीनियरिंग एवं टेक्नोलोजी लखनऊ के निदेशक के विरुद्ध गम्भीर वित्तीय अनियमितताओं तथा पद का दुरुपयोग करने का अभियोग पत्र लेखा लिपिक द्वारा लिखा गया था ? यदि हां, तो इसमें प्रमुख अभियोग क्या थे ? क्या इन अभियोग की जांच करायी गयी ? यदि हां, तो निष्कर्ष क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

इन्स्टीट्यूट आफ इन्जीनियरिंग एण्ड टेक्नालोजी, लखनऊ एक स्वशासी संस्था है। इस संस्था के लेखा लिपिक द्वारा निदेशक के विरुद्ध कोई अभियोग पत्र शासन को नहीं प्राप्त हुआ है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

**सचिवालय के निजी सचिव कैडर के निःसंवर्गीय पद पर सेवानिवृत्त अधिकारियों की पुनर्नियुक्ति**

108—श्री अशोक बाजपेयी—

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि सचिवालय में निजी सचिव कैडर में जिन लोगों को निःसंवर्गीय पद पर पुनर्नियुक्ति प्रदान की गई है, उन्हें वहीं तैनात रखा गया है जहां वे सेवा-निवृत्ति से पूर्व तैनात थे ? ऐसा किए जाने का क्या कारण है ? क्या निजी सचिव संवर्ग में इन सेवानिवृत्त अधिकारियों के पदों को भरने के लिए उपयुक्त लोग उपलब्ध नहीं हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां । निजी सचिव संवर्ग में संबंधित पदों पर इनके अनुभव की उपयोगिता को देखते हुए ऐसा किया गया है । उपयुक्त लोग उपलब्ध तो हैं किन्तु सेवा निवृत्त अधिकारियों के संबंधित पद पर विशिष्ट अनुभव को दृष्टिगत रखते हुए कार्यहित में ऐसी तैनातियां की गयी हैं ।

**प्रदेश सचिवालय में निजी सचिवों के पदों की संख्या एवं नियुक्ति**

109—श्री अशोक बाजपेयी—

क्या मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि वर्तमान में सचिवालय में निजी सचिवों के कितने पद उपलब्ध हैं तथा उनके विरुद्ध कितने पदाधिकारी कार्यरत हैं ? क्या यह सही है कि विभिन्न आयोगों समितियों/बोर्डों में सचिवालय कैडर के निजी सचिवों के पद सृजित तो हैं किन्तु उन्हें कतिपय कारणों से खाली छोड़ा गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

वर्तमान में उत्तर प्रदेश सचिवालय में निजी सचिव के विभिन्न संवर्गों के कुल 151 पद उपलब्ध हैं जिनके विरुद्ध 148 पदाधिकारी कार्यरत हैं । विभिन्न आयोगों/समितियों/बोर्डों के लिए सचिवालय कैडर में पद सृजित हैं और वे सभी पद भरे हैं । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

**प्रशासक केन्द्रीय उप0 स0 भण्डार सीतापुर के विरुद्ध शिकायती पत्र पर जांच**

110—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर निवासी श्री ओम प्रकाश गुप्ता, अध्यक्ष, आर0 एम0 पी0 डिग्री कालेज, सीतापुर द्वारा फरवरी, 88 के दूसरे सप्ताह में मा0 मुख्य मंत्री तथा संबंधित अधिकारियों को दिया गया एक तार जिसमें प्रशासक केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी भण्डार द्वारा धमकी आदि का उल्लेख है, प्राप्त हुआ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी तथा उसकी जांच किसके द्वारा करायी गयी ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

जी हां । प्रश्नगत तार के सम्बन्ध में जिला मैजिस्ट्रेट सीतापुर को किसी वरिष्ठ अधिकारी से जांच कराने के आदेश दिए जा चुके हैं ।

111—श्री किरन पाल सिंह—

[8वें मंगलवार के लिए स्थगित]

**जौनपुर के सार्वजनिक निर्माण विभाग के तीनों खण्डों में लम्बी अवधि तक कार्यरत अभियंताओं के कार्यकाल एवं स्थानान्तरण नीति**

112—श्री अर्जुन सिंह यादव—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के सा0नि0 वि0 के तीनों खण्डों में कितने अधिशासी अभियन्ता, अवर अभियन्ता, सहायक अभियन्ता तीन वर्षों से अधिक समय से कार्यरत हैं ? क्या ऐसे भी अभियन्ता हैं जिनका स्थानान्तरण होने के बाद रद्द कर दिया गया? क्या मंत्री जी को जानकारी है कि राणा प्रताप सिंह सहायक अभियन्ता लगभग पांच वर्षों से कार्यरत हैं तथा इनका लड़का ओम प्रकाश सिंह सा0 नि0 वि0 में दूसरों के नाम पर ठेकेदारी करता है तथा मस्टररोल के कार्य श्री राणा प्रताप सिंह अपने लड़के श्री ओम प्रकाश सिंह से ठेकेदारी में कराते हैं ? क्या मंत्री जी राणा प्रताप सिंह तथा अन्य अभियन्ता जो तीन साल से अधिक समय से कार्यरत हैं, का स्थानान्तरण करने के आदेश देने की कृपा करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जनपद जौनपुर में सार्वजनिक निर्माण विभाग के तीनों खण्डों में एक अधिशासी अभियन्ता, 3 सहायक अभियंता एवं 26 अवर अभियन्ता तीन वर्ष से अधिक समय से कार्यरत हैं ।

जी हां ।

श्री राणा प्रताप सिंह नाम के सहायक अभियन्ता जनपद के तीनों खण्डों में से किसी भी खण्ड में कार्यरत नहीं हैं, परन्तु श्री राणा प्रताप सिंह नाम के एक अवर अभियन्ता, निर्माण खण्ड, जौनपुर में कार्यरत हैं। इनके लड़के द्वारा कार्य कराये जाने का कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है।

स्थानान्तरण नीति के अनुसार नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

**मथुरा जनपद की मांट तहसील में व्यायामशाला खुलवाने की मांग**

113–श्री कुशल पाल सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की प्रत्येक तहसील पर व्यायामशाला बनाने पर सरकार विचार कर रही है? यदि हां, तो क्या शासन मथुरा जनपद की मांट तहसील पर भी व्यायामशाला खुलवाने पर विचार करेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

114–श्री काशी सिंह ऐरी–

[8वें बुधवार में अता0 प्र0 सं0 80 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

**बरेली विकास प्राधिकरण के लेखा के आडिट में प्राप्त अनियमितताओं के संबंध में जांच**

115–डा0 दिनेश जौहरी–

क्या वित्त मंत्री को जानकारी है कि बरेली विकास प्राधिकरण के लेखा के आडिट में अनियमितता पाये जाने के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र जिसके उत्तर में राज्य वित्त मंत्री द्वारा अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या 2814/83-36 दिनांक 3-3-85 के माध्यम से आवश्यक कार्यवाही के आदेश दिये गये थे, पर जनवरी, 1988 तक क्या कार्यवाही हुई? क्या मंत्री जी सम्बन्धित रिपोर्ट सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

विकास प्राधिकरण बरेली के वर्ष 1983-84 से 1984-85 तक के लेखों की सम्परीक्षा टिप्पणी में निर्माण कार्य से संबंधित अनियमितताओं एवं कमियों का पर्याप्त समावेश है अतः उक्त अवधि की सम्परीक्षा टिप्पणियों को निरस्त करने तथा पुनः सम्परीक्षा कराये जाने की आवश्यकता नहीं समझी गई है। अतः रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखने का प्रश्न नहीं उठता है। निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा वर्ष 1981-82 तथा 82-83 की सम्परीक्षा की जांच माननीय सदस्य की शिकायत के परिप्रेक्ष्य में करवा रहे हैं। निदेशक को यह कार्य शीघ्रता से करने के निर्देश दे दिये गये हैं।

**तालबेहट, जिला ललितपुर के थाने के निकट कब्रिस्तान सम्बन्धी विवादग्रस्त मामला न्यायालय के विचाराधीन**

116–श्री राम सजीवन–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री अहमद खां, अध्यक्ष, कब्रिस्तान कमेटी, तालबेहट, जिला ललितपुर ने 1-1-86 व 12-2-86 को जिलाधिकारी, ललितपुर तथा उसकी प्रतियां मुख्य मंत्री एवं मंत्री मुस्लिम वक्फ आदि को भेजकर शिकायत की है कि तालबेहट थाने के सामने स्थित कब्रिस्तान को कुछ सरकश लोगों ने खोदकर नाजायज कब्जा कर लिया है? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी?

श्री गोपी नाथ दीक्षित?

जी हां। प्राप्त सूचना के अनुसार जांच से पाया गया कि श्री अहमद खां के प्रार्थना-पत्र में थाना ताल्बेहट के सामने जिस भूमि पर कब्रिस्तान होना बताया गया है, वह राजस्व अभिलेखों में हनुमान गढ़ी के नाम से दर्ज है। उक्त भूमि के 0-03 डि0 में एक मस्जिद बनी हुई है, जिसके सामने चन्द पुरानी कब्रे बनी हुई है। इस भूमि में वर्ष 85 में एक कमरा बनाकर गांधी भवन के नाम से घोषित किया गया था। वर्ष 1985 में तथाकथित कब्रिस्तान कमेटी द्वारा गांधी भवन के निर्माण में आपत्ति उठाई गई। कब्रिस्तान पर नाजायज कब्जे के संबंध में एक समुदाय द्वारा मामले को दीवानी न्यायालय में ले जाया गया, जो विचाराधीन न्यायालय है। दूसरे पक्ष, हनुमान गढ़ी की ओर से मुंसिफ मजिस्ट्रेट, ललितपुर के यहां मुकदमा दाखिल किया गया है। दोनों पक्षों के वाद न्यायालय पर चल रहे हैं। वर्तमान में किसी प्रकार की शांति भंग की सम्भावना नहीं ज्ञात हुई।

**डालीबाग आवासीय क्षेत्र, लखनऊ में स्थित बिस्कुट फैक्ट्री से फैलते प्रदूषण पर कार्यवाही के आदेश**

117—श्री राम शरण दास—

क्या नगर विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि महानगर लखनऊ की बटलर रोड, डालीबाग आवासीय क्षेत्र में मकान नं0—40-बी0, के पीछे एक डबलरोटी एवं बिस्कुट की फैक्ट्री चल रही है जिसके प्रदूषण से वहां के नागरिक काफी परेशान हैं? यदि हां, तो उस फैक्ट्री को वहां से हटाने की सरकार द्वारा क्या कार्यवाही हो रही है?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां।

पर्यावरण से सम्बन्धित अधिनियमों में किसी कारखाने को हटाने का प्राविधान नहीं है। अतः जिला मजिस्ट्रेट लखनऊ को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 133 के अन्तर्गत उक्त प्रदूषणकारी बेकरी को आवासीय क्षेत्र से अन्यत्र हटाये जाने की कार्यवाही करने के निदेश दे दिये गये हैं।

118—श्री यदुनाथ सिंह—

[8वें मंगलवार के लिए स्थगित]

**आगरा में आयोजित कांग्रेस (ई) की किसान रैली में सरकारी वाहनों का दुरुपयोग सम्बन्धी शिकायतें**

119—श्री रघुवर दयाल वर्मा—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 26-10-87 को आगरा में आगरा मण्डल की कांग्रेस (ई) की किसान रैली का आयोजन हुआ था? यदि हां, तो क्या उसके लिए मुख्य मंत्री और अन्य प्रदेश सरकार के मंत्रियों ने प्रदेश सरकार के सरकारी वाहनों का प्रयोग किया? यदि हां, तो क्या उन वाहनों का किराया और पेट्रोल आदि का व्यय कांग्रेस (ई) कमेटी आगरा ने अदा किया? यदि नहीं, तो सत्ताधारी पक्ष की रैली पर राज्य सरकार द्वारा धन व्यय किये जाने के क्या कारण थे?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है।

**गोसाईगंज के भांग के ठेकेदार आबकारी कर निर्धारण संबंधी शिकायती पत्र पर आवश्यक कार्यवाही**

120–श्री यदुनाथ सिंह–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1985 के छठे मंगलवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 114 के सन्दर्भ में क्या वित्त बताने की कृपा करेंगे कि क्या इस संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 1474 मुख्य मंत्री को ता0 9-1-85 को स्मृति पत्र संख्या 2 दिनांक 17-10-85, संख्या 750 मुख्य मंत्री को ता0 20-5-86 को प्राप्त हुआ है? यदि हां, पत्र संख्या 750 के संबंध में कोई जांच की गई है? यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम रहा?

श्री वीर बहादुर सिंह–

माननीय सदस्य के पत्र संख्या–1474 दिनांक 8-1-85 तथा संख्या–2 (जिस पर कोई दिनांक नहीं पड़ा हुआ और जो उक्त पत्र दिनांक 8-1-85 की प्रति ही है) प्राप्त हुए हैं। पत्र संख्या 750 उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। उपर्युक्त पत्र संख्या 1474 भांग के एक ठेकेदार के विषय में है। उल्लेखनीय है कि भांग के ठेके आबकारी विभाग द्वारा दिये जाते हैं और ठेकेदार की हैसियत संबंधी कार्य जात भी उसी विभाग में दाखिल किये जाते हैं। इनकी कोई जांच विक्रीकर विभाग द्वारा नहीं की जाती है। भांग के ठेकेदारों से बिक्रीकर की वसूली में होने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए ही अब दिनांक 1-11-85 से कराधान समीक्षा समिति की संस्तुति के आधार पर भांग को बिक्रीकर से मुक्त कर दिया गया है और इस पर बिक्रीकर से प्राप्त होने वाले राजस्व की प्रतिपूर्ति के उद्देश्य से आबकारी शुल्क में ही वृद्धि कर दी गयी है, ताकि राजस्व की हानि न हो सके। प्रश्नगत मामले में तत्कालीन स्थितियों में अस्थायी कर-निर्धारण करने तथा अर्थदण्ड लगाने की जो कार्यवाही सम्भव थी, वह की गयी।

**बस्ती जिले में गंगेस्टर एक्ट के अंतर्गत बंदी लोगों को अंगरक्षक दिया जाना**

121–श्री सुखपाल पाण्डे–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कितने ऐसे व्यक्ति बस्ती जिले में हैं जो गंगेस्टर एक्ट में बंदी रह चुके हैं जिन पर दर्जनों आपराधिक मुकदमें विभिन्न जिलों में चल रहे हैं तथा उनकी किसकी संस्तुति के आधार पर शासन द्वारा अंगरक्षक 1986 तथा 1987 में दिया गया है? उनके संबंध में पुलिस अधीक्षक की क्या रिपोर्ट है?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

केवल एक ऐसे व्यक्ति को अंगरक्षक शासन द्वारा स्वीकृत किया गया है। पुलिस अधीक्षक बस्ती द्वारा इन्हें अंगरक्षक न देने की संस्तुति की गई है।

**श्री राज दुलारे तिवारी, मोहिबुल्लापुर के पल्टन छावनी ग्राम, लखनऊ द्वारा दर्ज कराई गई चोरी की रिपोर्ट में की गई कार्यवाही**

122—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मोहिबुल्लापुर के पल्टन छावनी ग्राम, लखनऊ के निवासी श्री राज दुलारे तिवारी द्वारा 10, 11 फरवरी, 1988 को अपने घर चोरी होने का मामला दर्ज कराया गया? यदि हां, तो क्या उक्त ग्राम के निवासी श्री खुशी राम यादव को रंजिशवश उक्त चोरी में नामजद किया गया था? यदि हां, तो क्या इसकी जांच कराई गई और जांच रिपोर्ट क्या रही? क्या इसके पूर्व भी श्री खुशीराम के घर में घुस कर मार-पीट करने की घटना श्री तिवारी के परिवार द्वारा की गयी? यदि हां, तो इस प्रकार की कितनी घटना उक्त ग्राम में तिवारी के विरुद्ध प्रकाश में आई तथा उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

जी हां।

जी हां।

पंजीकृत अभियोग की विवेचना अंतिम रिपोर्ट द्वारा समाप्त की गई।

श्री तिवारी के परिवार द्वारा श्री खुशी राम के घर में घुस कर मारपीट करने की किसी घटना की सूचना पुलिस को नहीं दी गई परन्तु दिनांक 10-8-87 को दोनों पक्षों की ओर से मारपीट एवं धमकी देने आदि की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई गई। शांति भंग की सम्भावना को देखते हुए दोनों व्यक्तियों को धारा 151 दं0 प्र0 सं0 के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया तथा उनके विरुद्ध धारा 107/116 दं0 प्र0 सं0 के अन्तर्गत निरोधात्मक कार्यवाही की गई।

123—श्री सुखपाल पाण्डे—

[8वें मंगलवार के लिए स्थगित]

**श्री विलाती राम कल्याल, सदस्य, विधान सभा की हत्या की सूचना तथा उनके सम्मान में सदन की कार्यवाही का स्थगन**

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मुझे मान्यवर, बहुत दुख के साथ सम्मानित सदन को सूचना देनी है कि हमारे सम्मानित सदस्य माननीय विलायती राम कल्याल जो कानपुर से आते थे, उनकी आज सबेरे साढ़े 8 बजे हत्या कर दी गयी है।

श्री अध्यक्ष—

यह बड़ी दुखद सूचना है, वे हमारे सीटिंग एम0 एल0 ए0 थे, उनके सम्मान में आप हम उठते हैं फिर कल 11 बजे मिलेंगे।

(इसके बाद सदन 11 बजकर 1 मिनट पर बुधवार, 6 अप्रैल, 1988 के दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

लखनऊ :

5 अप्रैल, 1988

**भाल चन्द्र शुक्ल,**

सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिए नियम 29(4) के ता0 प्र0 सं0 1 का उत्तर पीछे पृष्ठ 4 पर)

**कर्मचारी एवं शिक्षक महासंघ के पत्र दिनांक 20-1-88 में की गई मांगें तथा प्रस्ताव**

1—केन्द्रीय कर्मचारियों को अनुमन्य वेतन, भत्ते तथा अन्य सुविधाओं को राज्य, निगम, स्थानीय निकाय कर्मचारियों एवं शिक्षकों पर पूर्णरूप से लागू करने, केन्द्रीय सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के समकक्ष वेतनमान प्रदान करने, तथा 8-33 प्रतिशत बोनस के भुगतान हेतु भारत सरकार द्वारा राज्यों को पर्याप्त धन उपलब्ध कराने तथा जीवन निर्वाह योग्य वेतन उपलब्ध कराने हेतु (नवें वित्त आयोग) को स्थायी व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक अनुशंसा करना।

2—भारतीय संविधान की धारा 310 एवं 311 (2) ए0 बी0 सी0 तथा कश्मीर संविधान की धारा 126(2) को विलोपित करना।

3—सेवा मुक्त समस्त कर्मचारियों को सेवा में वापस लेना तथा उत्पीड़न की समस्त कार्यवाहियों को समाप्त करना।

4—छटनी की समस्त कार्यवाहियों को रोकना तथा छटनीशुदा कर्मचारियों को सेवा में वापस लेना।

5—राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियमों को पारित न कराना।

5—राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम जैसे काले अधिनियमों को समाप्त करना, ट्रेड यूनियन विरोधी अधिनियमों को पारित न कराना तथा 1982 को आधार वर्ष मानकर नया मूल्य सूचकांक प्रारम्भ करने की कार्यवाही पर रोक लगाना।

6—बेतहासा बढ़ती हुई महंगाई पर रोक लगाना तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली को व्यापक एवं चुस्त बनाना।

(1) प्रस्ताव संख्या : दो—उ0 प्र0 कर्मचारी एवं शिक्षक महासंघ के तत्वावधान में आयोजित कर्मचारियों एवं शिक्षकों की रैली राज्य सरकार द्वारा वेतन समिति की रिपोर्ट टुकड़ों में प्राप्त करने की कार्यवाही की कटुनिन्दा करती है और मांग करती है कि निगम कर्मचारियों एवं स्थानीय निकाय कर्मचारियों के संबंध में वेतन समिति से तत्काल रिपोर्ट प्राप्त करें और कर्मचारियों एवं शिक्षकों को विश्वास में लेने के उपरान्त इसे तत्काल लागू करें।

(2) प्रस्ताव संख्या : तीन—उ0 प्र0 कर्मचारी एवं शिक्षक महासंघ के तत्वावधान में आयोजित कर्मचारियों एवं शिक्षकों की यह आम सभा राज्य सरकार द्वारा जुलाई, 1987 से देय महंगाई भत्ते को स्वीकृत न करने की कटुनिन्दा करती है और राज्य सरकार से मांग करती है कि इस महंगाई भत्ते को तत्काल स्वीकृत करते हुए, देय तिथि से इसका नकद भुगतान सुनिश्चित किया जाय।

(3) प्रस्ताव संख्या : चार—उत्तर प्रदेश कर्मचारी एवं शिक्षक महासंघ के तत्वावधान में आयोजित कर्मचारियों एवं शिक्षकों की यह आम सभा उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम के कर्मचारियों के उत्पीड़न की घोर निन्दा करती है तथा मांग करती है कि परिवहन मुख्यालय के ग्यारह निष्कासित कर्मचारियों को सेवा में वापस लिया जाय, एलेन फारेस्ट कार्यशाला, कानपुर, हल्द्वानी डिपो, नैनीताल के कर्मचारियों के विरुद्ध की गई उत्पीड़न की कार्यवाहियों को समाप्त किया जाय।

नत्थी 'ख'

(देखिए अता0प्र0सं0–29 का उत्तर पीछे पृष्ठ 22 पर।)

| नाम | आवास संख्या तथा कालोनी का नाम | कार्यालय या विभाग का नाम |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1—कु0 सीमा देवी | ओ0एच0 8 | वरिष्ठ लिपिक, कार्यालय आयुक्त अनुसूचित जाति। |
| 2—श्री गुरू प्रसाद | सी-1, दारुलशफा | लिपिक परिवहन अनुभाग। |
| 3—श्री अयोध्या प्रसाद | 4, बलदारी लेन, दारुलशफा | उप प्रतिसार निरीक्षक अग्निशमन। |
| 4—श्री राजेन्द्र प्रसाद पन्त | 5, बेलदारी लेन | कनिष्ठ लिपिक सम्बद्ध राज्य सम्पत्ति निदेशालय। |
| 5—श्री योगेन्द्र सिंह | 9, बेलदारी लेन | लिपिक, वित्त अनुभाग, उ0प्र0 सचिवालय। |
| 6—श्री शारदा बक्श सिंह | 13, बेलदारी लेन | उप प्रतिसार निरीक्षक, विधान भवन सचिवालय। |
| | अशोक नगर | |
| 1 श्री शिशुपाल सिंह | सर्वेन्ट क्वार्टर–8 | अ0व0सहा0, गृह अनुभाग, सचिवालय। |
| | विधायक निवास–3 | |
| 1—श्री राजेन्द्र सिंह | सर्वेन्ट क्वार्टर–8 | टंकक, विधान सभा सचिवालय। |
| 2—श्री गोपाल दत्त जोशी पुत्र श्री जगदीश चन्द्र जोशी। | सर्वेन्ट क्वार्टर–18 | टंकक, गृह सामान्य अनु0–4, उ0प्र0 सचिवालय। |
| | केबिनेटगंज कालोनी | |
| 1—श्री लालू सिंह नायर कोटि। | सी–7 | टंकक, पर्वतीय विकास अनु0–2, उ0प्र0 सचिवालय। |
| 2—श्री उमापति ओझा | सी–18 | मुख्य सुरक्षा गार्ड, उ0प्र0 सचिवालय। |
| 3—कु0 राधा विष्ट पुत्री श्री धनसिंह विष्ट। | डी–7 | टंकक, पिटीशन–11। |
| 4—श्री छेदी लाल पुत्र श्री राम कृपाल। | सी–30 | प्र0व0सहा0 विधान परिषद, उ0प्र0 सचिवालय। |
| 5—श्री विक्रम सिंह शैडो | सी–57 | सम्बद्ध राज्य मन्त्री सा0नि0वि0 |
| 6—श्री विशन प्रसाद | 6 | स्वागत कर्ता, राज्य अतिथि गृह लखनऊ। |

नत्थी 'ग'

(देखिए अता0प्र0सं0 39 का उत्तर पीछ पृष्ठ 24 पर।)

विधान सभा के प्रथम सत्र 1988 के 6ठें मंगलवार हेतु निर्धारित श्री माता प्रसाद पाण्डेय द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 39 के उत्तर का संलग्नक (क)

| क्रम-सं | विधान सभा क्षेत्र | वर्ष 87–88 में भौतिक उपलब्धि (किमी0 में) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | मिटटी | | योग | खड़ंजा | प्रथम सतह (पक्की) | लेपन | |
| | | मार्ग निर्माण | तटबन्धों को चौ। करना | | | | द्वितीय सतह | योग पी 1+पी 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 165—हरैया | .. | 18.50 | .. | 18.50 | 5.30 | 3.00 | 2.00 | 5.00 |
| 2 | 166—कप्तानगंज | .. | 28.65 | .. | 28.65 | 11.30 | 7.00 | 5.00 | 12.00 |
| 3 | 167—नगर पूरब | .. | 6.80 | 4.00 | 10.80 | 7.70 | 3.00 | 5.40 | 8.40 |
| 4 | 168—बस्ती | .. | 3.80 | 26.00 | 29.80 | 6.30 | 5.20 | 5.80 | 11.80 |
| 5 | 169—रामनगर | .. | 14.30 | 29.00 | 43.30 | 11.75 | 3.80 | 1.00 | 4.80 |
| 6 | 170—डुमरियागंज | .. | 15.20 | 29.00 | 44.20 | 14.95 | 7.50 | 10.20 | 17.70 |
| 7 | 171—इटवा | .. | 22.20 | 20.00 | 42.20 | 15.50 | 3.00 | 3.00 | 6.00 |
| 8 | 172—सोहरतगढ़ | .. | 24.50 | 31.50 | 55.50 | 14.00 | 8.15 | 4.00 | 12.15 |
| 9 | 173—नौगढ़ | .. | 29.20 | 10.00 | 39.20 | 11.30 | 9.00 | 9.80 | 18.80 |
| 10 | 174—बांसी | .. | 3.15 | 39.00 | 42.15 | 9.00 | .. | .. | .. |
| 11 | 175—खेसरहा | .. | 17.30 | 19.00 | 36.30 | 10.75 | 8.00 | 11.50 | 19.50 |
| 12 | 176—मेंहदावल | .. | 6.90 | 20.00 | 26.90 | 3.20 | .. | 8.00 | 8.00 |
| 13 | 177—खलीलाबाद | .. | 9.32 | 15.00 | 24.32 | 8.58 | 10.50 | 15.60 | 26.10 |
| 14 | 178—हैन्सर बाजार | .. | 7.00 | 11.00 | 18.00 | 4.10 | .. | 3.00 | 3.00 |
| | कुल योग | .. | 206.82 | 253.00 | 459.82 | 133.73 | 68.15 | 84.30 | 152.45 |

विधान सभा के प्रथम सत्र 1988 के 6ठे मंगलवार को निर्धारित श्री माता प्रसाद पाण्डेय द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या–39 के उत्तर का संलग्नक 'ख' (राष्ट्रीय मार्ग एवं नौगढ़) बुद्धिष्ठ मार्ग)

| क्रमांक | विधान सभा क्षेत्र | वर्ष 87–88 में भौतिक उपलब्धि किमी0 में | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | मिट्टी | | | खड़ंजा | लेपन | | |
| | | मार्ग निर्माण | तटबन्धों को चौड़ा करना | योग | | प्रथम सतह | द्वितीय सतह | योग |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 165—हरैया | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2 | 166—कप्तानगंज | .. | .. | .. | .. | 7.50 | 7.00 | 14.50 (सुदृढ़ीकरण) |
| 3 | 168—बस्ती | .. | 0.30 | .. | 0.30 | .. | .. | .. |
| 4 | 177—खलीलाबाद | .. | .. | .. | .. | 21.50 | 17.50 | 39.00 |
| | योग (राष्ट्रीय मार्ग) | .. | 0.30 | .. | 0.30 | .. | 29.00 | 24.50 | 53.50 |
| | 173—नौगढ़ (बुद्धिष्ठ मार्ग राज्य सेक्टर) | .. | 9.00 | .. | 9.00 | 21.00 | 25.50 (चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण) | .. | 25.50 |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिए अता0प्र0सं0-54 का उत्तर पीछे पृष्ठ 27 पर।)

पत्रकारों द्वारा मान्यता हेतु किए गए आवेदन तथा मान्यता स्वीकृति की जिलेवार सूची

| जिला | वर्ष 1985-86 | | 1986-87 | |
|---|---|---|---|---|
| | आवेदन-पत्रों की संख्या | दिए गए मान्यता की संख्या | आवेदन-पत्रों की संख्या | दिए गए मान्यता की संख्या |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1--अल्मोड़ा | 7 | 3 | 3 | . |
| 2--आगरा | 8 | 3 | 17 | . |
| 3--आजमगढ़ | 4 | 1 | 6 | . . |
| 4--अलीगढ़ | 15 | 8 | 13 | . . |
| 5--इलाहाबाद | 11 | 8 | 6 | . . |
| 6--बाराबंकी | 7 | 3 | 6 | . . |
| 7--बस्ती | 11 | 1 | 11 | . . |
| 8--बिजनौर | 14 | 7 | 11 | . . |
| 9--बुलन्दशहर | 14 | 4 | 4 | . . |
| 10--बरेली | 15 | 8 | 5 | . . |
| 11--बदायूं | 8 | 4 | 4 | . . |
| 12--बलिया | . . | . | 4 | . |
| 13--बांदा | 4 | 1 | 6 | . . |
| 14--बहराइच | 4 | 2 | 4 | . |
| 15--चमौली | 5 | 3 | 3 | . |
| 16--देहरादून | 19 | 11 | 12 | . |
| 17--देवरिया | 6 | 4 | 6 | . |
| 18--एटा | 5 | 4 | 6 | 1 |
| 19--इटावा | 7 | 5 | 13 | . . |
| 20--फैजाबाद | 11 | 6 | 12 | . . |
| 21--फतेहपुर | 4 | 2 | 5 | 1 |
| 22--गोण्डा | 5 | 3 | 2 | . . |
| 23--फर्रुखाबाद | 5 | 2 | 7 | . . |
| 24--गोरखपुर | 27 | 10 | 7 | . . |
| 25--गाजियाबाद | 13 | 10 | 12 | 1 |
| 26--गाजीपुर | 8 | 2 | 3 | . . |
| 27--हमीरपुर | 6 | 3 | 3 | . . |
| 28--हरदोई | 5 | 3 | 3 | . . |
| 29--जालौन | 6 | 4 | 4 | . . |

विधान सभा प्रदेश उत्तर

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30--जौनपुर | .. | 11 | 8 | 12 | .. |
| 31--झांसी | .. | 7 | 2 | 5 | 1 |
| 32--लखीमपुर | .. | 7 | 1 | 7 | .. |
| 33--लखनऊ | .. | 9 | 5 | 19 | .. |
| 34--ललितपुर | .. | 3 | 1 | 5 | .. |
| 35--मेरठ | .. | 18 | 11 | 19 | .. |
| 36--मैनपुरी | .. | 7 | 4 | 6 | .. |
| 37--मुजफ्फरनगर | .. | 16 | 8 | 3 | 2 |
| 38--वाराणसी | .. | 22 | 15 | 6 | 1 |
| 39--मिर्जापुर | .. | 7 | 2 | 4 | .. |
| 40--मथुरा | .. | 6 | 2 | 4 | 1 |
| 41--नैनीताल | .. | 6 | .. | 4 | .. |
| 42--प्रतापगढ़ | .. | 9 | 5 | 13 | .. |
| 43--पीलीभीत | .. | 7 | 3 | 5 | .. |
| 44--रायबरेली | .. | 7 | .. | 6 | .. |
| 45--रामपुर | .. | 22 | 5 | 8 | .. |
| 46--सहारनपुर | .. | 15 | 7 | 5 | 1 |
| 47--सीतापुर | .. | 12 | 4 | 5 | .. |
| 48--शाहजहांपुर | .. | 6 | 2 | 7 | .. |
| 49--टेहरी गढ़वाल | .. | .. | .. | 3 | .. |
| 50--उन्नाव | .. | 3 | 2 | 5 | .. |
| 51--कानपुर | .. | 17 | 9 | 41 | .. |
| 52--पिथौरागढ़ | .. | 6 | .. | 2 | .. |
| 53--उत्तरकाशी | .. | .. | .. | .. | .. |
| 54--मुरादाबाद | .. | 6 | 3 | 10 | .. |
| 55--सुल्तानपुर | .. | 18 | 9 | 8 | .. |
| 56--पौड़ी गढ़वाल | .. | 3 | 1 | 7 | .. |
| 57--कानपुर देहात | .. | .. | .. | .. | .. |

विधान सभा उत्तर प्रदेश

## नत्थी 'ङ'

(देखिए अता0 प्र0 सं0 71 का उत्तर पीछे पृष्ठ 34 पर)

**श्री यदुनाथ सिंह, सदस्य विधान सभा के पत्र संख्या–649 दिनांक 20-11-87 में मांगी गई सूचना**

बिन्दु–1 जी नहीं, श्री ज्ञान प्रकाश की 5 वेतन वृद्धियां रोकी गई हैं।

बिन्दु–2 40 मैजेस्टिक मोपेड से वाहन संख्या 8873 में लदे माल पर 40 प्रतिशत से कम अर्थदण्ड लगाये जाने के आरोप में श्री ज्ञान प्रकाश की आदेश दिनांक 31-12-85 द्वारा तीन वार्षिक वेतन वृद्धियां रोकी गयी हैं।

श्री ज्ञान प्रकाश द्वारा फार्म-31/32 को भेजने में की गई लापरवाही एवं उनका कर्मचारियों पर नियंत्रण न होने के आरोप में इनकी दो वार्षिक वेतन वृद्धियां आदेश दिनांक 3-7-86 द्वारा रोकी गईं।

बिन्दु–3 वेतन वृद्धि को रोकने की आदेश प्रतियां श्री ज्ञान प्रकाश को पृष्ठांकित की गई थीं तथा उपायुक्त (शा0) बिक्रीकर इलाहाबाद के माध्यम से भी आदेशों की प्रतियां तामीली कराने एवं उनका अनुपालन कराने हेतु भेजी गयी हैं। आदेश दिनांक 3-7-86 तामील हो चुका है तथा आदेश दिनांक 31-12-85 की तामीली की पुष्टि के संबंध में सूचना प्राप्त नहीं हुई है जिसे उपायुक्त (शा0) बिक्रीकर इलाहाबाद से प्राप्त किया जा रहा है।

बिन्दु–4 श्री ज्ञान प्रकाश का स्थायीकरण नहीं हुआ है और न ही कोई पदोन्नति हुई है।

बिन्दु–5 श्री ज्ञान प्रकाश वर्ष 85-86 में चेक पोस्ट रक्सा, झांसी में तैनात थे और इसी अवधि में वे आहरण एवं वितरण अधिकारी थे। क्योंकि चेक-पोस्ट पर एक ही बिक्रीकर अधिकारी श्री ज्ञान प्रकाश थे अतः वही आहरण एवं वितरण का कार्य देखते थे। यह उल्लेखनीय है कि श्री ज्ञान-प्रकाश 1-9-84 से रुपया 1050 मूल वेतन आहरित कर रहे हैं तथा इसी स्तर पर 1-9-85 से दक्षतारोक पार करायी जानी थी जो अभी पार नहीं कराई गयी है और वह अभी भी इतना ही मूल वेतन प्राप्त कर रहे हैं जिससे स्पष्ट है कि उक्त वेतन वृद्धियों को रोकने सम्बन्धी आदेशों की अवहेलना नहीं हुई है।

बिन्दु–6 जी, नहीं अधिकारी की 5 वेतन वृद्धियां उनके द्वारा कुछ मामलों में की गई त्रुटियों/लापरवाही के लिए दण्ड स्वरूप रोकी गई है जिसके आधार पर यह नहीं कहा जा सकता है कि अधिकारी विभाग के लिए बोझ है।

पी0 एस0 यू0 पी0-एल0 66 विधान सभा (93)–1988–813